ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

सितम्बर 2018 अंक 01

विषय सूची

सितम्बर 2018
अंक-1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-15

- राष्ट्र के विकास में राज्यों की निवेश क्षमता का अवलोकन
- सैन्य सुधारः सशक्त देश की अनिवार्य आवश्यकता
- शंघाई सहयोग शांति मिशन-2018
- इंडिया वेज रिपोर्टः मजदूरी का अवलोकन
- दावानल की बढ़ती बारम्बारता
- वर्तमान राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रासंगिकता
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयः देश के खेल भविष्य का द्वार

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16-19

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 20-26

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27-35

सात महत्वपूर्ण तथ्य 36

सात महत्वपूर्ण पुरस्कार 37-38

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 39

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. राष्ट्र के विकास में राज्यों की निवेश क्षमता का अवलोकन

चर्चा में क्यों

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने "स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेन्शियल इंडेक्स (N-SIPI), 2018" जारी किया है। 'N-SIPI' में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश क्षमता को छह प्रमुख क्षेत्रों- भूमि, श्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इनवॉयरमेंट, राजनीतिक स्थिरता एवं गवर्नेंस में परखा गया है। इस इंडेक्स में दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात ने क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पायी है जबकि बिहार अंतिम पायदन पर खड़ा है।

इंडेक्स के पैरामीटर में राज्यों की स्थिति

इस इंडेक्स में दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल आदि अपने यहाँ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ स्वस्थ बिजनेस प्रतिस्पर्द्धा, निवेश का वातावरण आदि उन्नत दशा में है जबकि दूसरी तरफ बिहार, झारखण्ड, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों का इस क्षेत्र में प्रदर्शन निराशाजनक है। 2017 के मुकाबले पश्चिम बंगाल ने 11 पायदान ऊपर छलांग लगाते हुए इस बार 10वीं रैंक प्राप्त की है, जो अपने आप में अद्भूत है। श्रम सुधार (तकनीक रूप से दक्ष लेबर की उपलब्धता, उचित लेबर कानून आदि) में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि का प्रयास सराहनीय है।

बुनियादी ढाँचा (सड़क, सड़कों का घनत्व, रेल, बिजली उपलब्धता आदि) में उत्तराखण्ड, तेलंगाना आदि राज्यों ने काफी काम किया है। स्वास्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं बिजनेस वातावरण में राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों ने अपनी रैंक को सुदृढ़ किया है। गवर्नेंस एवं राजनीतिक स्थिरता आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में इस वर्ष बेहतर रही है।

इंडेक्स के प्रमुख पैरामीटर का विश्लेषण

भूमिः इसमें भूमि के हस्तांतरण, उपलब्धता एवं मूल्य से सम्बन्धित नीतियाँ शामिल हैं। भूमि सुधार भारत में हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यदि उद्योगों को स्थापित करने हेतु भूमि की वाजिब दरों पर उपलब्धता नहीं रहेगी तो निवेश को आकर्षित करना मुश्किल होगा। कई राज्यों में भूमि की उपलब्धता तो बहुत है किंतु जटिल भूमि कानूनों, आदिवासी एवं किसान आदि संगठनों के विरोध, सामाजिक संगठनों के आंदोलन, पर्यावरणीय अनुमति मिलने में देरी आदि कारणों से कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि हासिल करना असम्भव हो जाता है। ऐसे में सम्बन्धित राज्य के प्रति एक अफसाना (विचार) बनता है कि यहाँ 'निवेश करना जोखिमपूर्ण' है।

इस क्षेत्र में असम, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले उत्तम रहा है जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड आदि का प्रदर्शन कमजोर हुआ है लेकिन यदि औसत रूप में देखा जाये तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि राज्य इस मामले में बेहतर हैं।

भूमि सुधार निवेश आकर्षण का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि भूमि उपलब्धता सुलभ नहीं होगी तो निवेश नहीं आयेगा और यदि निवेश नहीं आया तो औद्योगिक गतिविधियाँ मंद पड़ जायेंगी जिससे अपेक्षित रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे। रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे तो मांग और बचत नहीं सृजित हो पायेंगे। जहाँ मांग उत्पादन को त्वरण प्रदान करती है तो वहीं बचत निवेश को त्वरण प्रदान करती है। अतः 'बचत एवं मांग' के न सृजित होने से अर्थव्यवस्था का चक्रीय क्रम टूटता है और वह मंदी की गिरफ्त में आ जाती है। इसे हम चित्र 1 व 2 से समझ सकते हैं।

अर्थव्यवस्था का चक्रीय क्रम

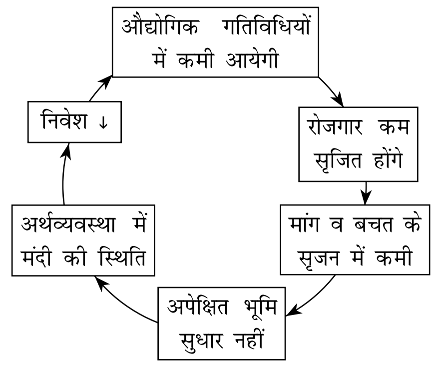

चित्रः 1

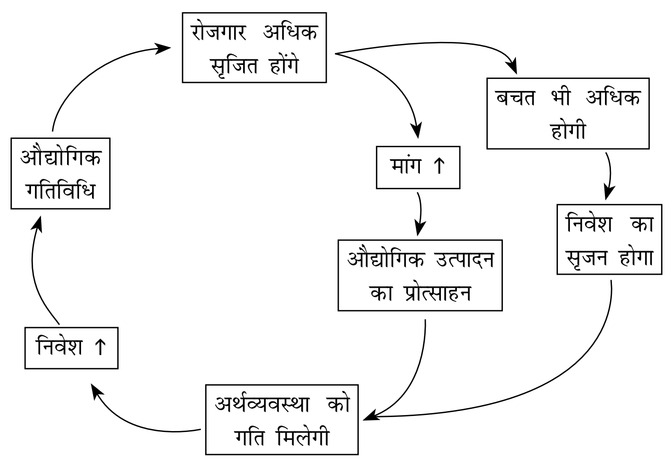

चित्रः 2

श्रम बलः इस क्षेत्र का तात्पर्य शिक्षित, तकनीकी रूप से युक्त व सस्ते श्रम बल की उपलब्धता से है। दक्ष एवं सस्ता श्रम बल उत्पादन की लागत घटा देता है जिससे निर्मित उत्पाद सस्ते व प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाते हैं। आज चीन पूरे विश्व बाजार में अपने सस्ते उत्पादों की दम पर छाया हुआ है। वह विनिर्माण हब है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ उत्तम एवं सस्ता श्रमबल उपलब्ध है। अतः भारत को भी इस पर प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा पद्धति आदि में सुधार करके किया जा सकता है।

विदित हो कि इस क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों का प्रदर्शन सही है तो वहीं असम, मध्य प्रदेश आदि का प्रदर्शन कमजोर है।

इंफ्रास्ट्रक्चर: इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ होने से सामान की 'लाजिस्टिक कीमत (समान की ढुलाई पर होने वाला खर्च)' कम हो जाती है, जिससे वह सस्ती व प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाती है। जिस राज्य में सड़क व रेल नेटवर्क, बिजली उपलब्धता आदि अच्छी होंगी वहाँ निवेश अधिक होगा। अभी इस क्षेत्र में दिल्ली, गुजरात आदि राज्य अव्वल दर्जे पर हैं।

इकोनॉमी इनवायरमेंट: इकोनॉमिक इनवायरमेंट में कई पैरामीटर आ जाते हैं। यथा- सरकारी नीतियाँ, मार्केट की मांग, संसाधनों की उपलब्धता, स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा, प्रति व्यक्ति आय आदि। अतः ये फैक्टर भी निवेश के आकर्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अभी इस क्षेत्र में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना की स्थिति संतोषजनक है जबकि उत्तर प्रदेश एवं बिहार आदि की स्थिति निराशाजनक है।

राजनीतिक स्थिरता एवं गवर्नेंस: इसके भी कई अवयव हैं। यथा- कानून व्यवस्था, अपराध की स्थिति, भ्रष्टाचार, गवर्नेंस की दक्षता, शांति एवं सुरक्षा आदि। तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों की स्थिति इस क्षेत्र में बेहतर है, जबकि नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगावादी हिंसक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में) की स्थिति काफी खराब है। यह फैक्टर (राजनीतिक स्थिरता एवं गवर्नेंस) किसी भी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की कुंजी है। राजनीतिक प्रतिबद्धता अन्य हर सेक्टर के सुधार के लिए जिम्मेदार है, यदि राजनीति में ही भ्रष्टाचार, अक्षमता व अस्थिरता है तो फिर गवर्नेंस, कानून के क्रियान्वयन, इंफ्रा आदि की स्थिति खराब होती चली जायेगी। राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते ही वियतनाम, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने तरक्की के नए मायने गढ़े हैं।

राष्ट्र के भावी विकास में राज्यों का योगदान कैसा होना चाहिए?

- केंद्र के सहयोग के माध्यम से राज्यों के बीच परस्पर सहयोग एवं प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद लाना होगा। इसके लिए नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद को अपनी रचनात्मक भूमिका बढ़ानी होगी।
- कुछ राज्यों (यथा- उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर के राज्य) में वन आच्छादित क्षेत्र बहुत अधिक हैं और वन उद्योगों के द्वारा उत्सर्जित CO_2 को अवशोषित करते हैं। अतः इन राज्यों को केंद्र सरकार विभिन्न तरीके के प्रोत्साहन दे सकती है जैसे- वनक्षेत्र के मुताबिक (कार्बन क्रेडिट के कारण) सब्सिडी, कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु सब्सिडी व सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराकर आदि।

- जनसंख्या बहुल प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल आदि) में मानव की क्षमता निर्माण पर बल देना होगा ताकि यह लोग सर्विस सेक्टर में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें।
- समुद्र तटीय प्रदेशों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना होगा ताकि यहाँ उत्पादित वस्तुएँ समुद्री रास्तों के माध्यम से अफ्रीका, पश्चिम एशिया, आसियान देशों के बाजारों में आसानी से पहुँच सकें। इसके लिए सरकार 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ's)' का निर्माण कर सकती है।
- सरकार को क्षेत्र विशेष में निपुण प्रदेशों की अभिक्षमता के विकास पर ध्यान देना होगा, ताकि वो और गुणवत्तापूर्ण व सस्ते उत्पाद बना सकें जैसे कि- गुजरात में डायमंड का कारोबार, वनारस में साड़ी का कारोबार आदि।
- भारत सरकार को विभिन्न प्रदेश/क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर अलग-अलग नीतियाँ बनानी होंगी। यथा- बिहार का कोसी नदी का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, अतः यहाँ सरकार को मखाना, मत्स्य आदि उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

विभिन्न प्रदेशों/क्षेत्रों की क्षमता निर्माण में सरकारी प्रयास

- केंद्र सरकार पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने हेतु विभिन्न प्रकार के संचार मार्गों को बड़ा रही है। यथा- प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, भारतमाला प्रोजेक्ट आदि।
- नीति आयोग राज्यों को उनके स्थानीय जरूरत के मुताबिक नीतियाँ बनाने में मदद करता है अर्थात् सरकार 'डॉउन टू टॉप माडल' पर जोर देना चाहती है।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 'राजस्व संग्रह' में राज्यों को अधिक हिस्सा देना ताकि राज्य अपनी जरूरत के मुताबिक अपने खर्च को स्वयं तय कर सकें।
- जीएसटी के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना तथा नुकसान उठाने वाले राज्यों को क्षतिपूर्ति देना।
- निजी निवेश, विदेशी निवेश, व्यक्तिगत निवेश आदि को आकर्षित करने हेतु मेक इन इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत जनसंख्या बाहुल्य देश है तथा कई राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। यथा- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि। अतः भारत को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs)' को बढ़ावा देना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके। इसके अलावा उद्योगों की मांग के अनुसार शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक पॉलिसी तैयार करनी होगी ताकि अलग-अलग क्षमता वाले प्रदेश अपनी तरक्की खुद तय कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु ग्रामीण पर्यटन, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, BPOs एवं MSMEs आदि को विकसित किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

2. सैन्य सुधारः सशक्त देश की अनिवार्य आवश्यकता

चर्चा में क्यों

भारत सरकार उत्तर, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों के लिए तीन 'सैन्य थियेटर कमांड' को गठित करने पर विचार कर रही है। इन 'सैन्य थियेटर कमांड' में संयुक्त राज्य अमेरिका की 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की 'थियेटर कमांड' की तरह आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, लॉजिस्टिक, साइबर सेल, सैटेलाइट लिंकेज आदि के संसाधनों का समन्वयित रूप में उपयोग किया जायेगा। इन क्षेत्रों में किसी भी समस्या (आर्थिक, सामरिक आदि) के त्वरित समाधान हेतु ये थियेटर कमांड कार्यवाही करेंगी।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में भारत में सेना के तीनों अंग (आर्मी, एयरफोर्स, नेवी) 'विशिष्ट ऑपरेशन' में समन्वयन (Coordination) स्थापित करते हैं। समस्या आधारित त्वरित समन्वयन स्थापित करने में विभिन्न तरीके (कम्युनिकेशन, समन्वयन में देरी, अनुमति आदि) की अड़चने आती हैं, जिससे समस्या के समाधान में परेशानी आती है और सुचारू ढंग से चलाने में भी दिक्कत आती है।

विकसित देश अपनी सैन्य ताकत को वर्तमान की जरूरत के अनुसार बनाने हेतु समय-समय पर सुधार करते रहते हैं। भारत सरकार ने भी सैन्य सुधारों हेतु निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं-

- कारगिल रिव्यू कमेटी- कारगिल युद्ध के बाद जरूरी सैन्य सुधार लाने हेतु।
- नरेश चंद्रा समिति- इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य 'कारगिल रिव्यू कमेटी' के द्वारा दी गई सिफारिशों की समीक्षा करना था।
- शेकटकर समिति का गठन- इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को 2019 से लागू किये जाने की योजना है।

सैन्य सुधार क्यों जरूरी हैं?

1. चीन से 1962 में युद्ध हुआ था और पाक से अभी तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से चार युद्ध (1948, 1965, 1971, 1999) हो चुके हैं। अतः भारतीय सेना की युद्ध मारक क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक है।
2. चीन से भारत का सीमा विवाद पुराना है। अभी डोकलाम क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के मध्य संघर्ष हो चुका है।
3. पाकिस्तान की आतंकवाद नीति भारत को अशांत करने के लिए है। अतः इससे पार पाने के लिए सेना को आधुनिक व क्षमतापूर्ण बनाना आवश्यक है।
4. जम्मू एवं कश्मीर को लेकर भारत-पाक व चीन के मध्य संघर्ष है। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किंतु इस राज्य के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान व चीन का अवैध कब्जा है। अतः अपनी जमीन को वापस पाने हेतु भारत को एक सुपर सैन्य पावर बनाना होगा।
5. भारत की भौगोलिक सीमा काफी विषम है। कहीं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ एवं गहरी-गहरी घाटियाँ हैं तो कहीं हजारों किलोमीटर लम्बी समुद्री सीमा है। ऐसे में सीमा सुरक्षा व घुसपैठ को रोकने हेतु तीनों सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय होना समय की आवश्यकता है।
6. सीमित संसाधनों में ही भारतीय सेना की सैन्य क्षमता को सर्वोत्तम बनाने हेतु। भारत अभी विकासशील देश है इसलिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है किंतु भारत वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है इसलिए भारत को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सुरक्षा समन्वय मजबूत करनी होगी।
7. भारतीय सेना को विभिन्न संसाधनों व उच्च्च तकनीक से लैस करने हेतु यह सुधार जरूरी है।
8. चीन की हिंद महासागर में बढ़ती आर्थिक व सामरिक गतिविधियों (बेल्ट एंड रोड एनीशिएटिव, मोतियों की माला, चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आदि) पर रोक लगाने हेतु।
9. भारत के पड़ोसी देशों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी।
10. भारत के अंदर ही विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियाँ सिर उठा रही है। यथा- नक्सलवाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी संगठन आदि। इन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय का होना जरूरी है।
11. भारत के पास भी बड़ी सेना है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बड़ी सेना होना किसी देश के लिए पर्याप्त है? बड़ी सेना का होना उतना आवश्यक नहीं है, जितना कि उसे परिष्कृत आधुनिक तकनीक व हथियारों से लैस होना जरूरी है। इसके लिए भी वृहद स्तर पर सैन्य सुधारों की आवश्यकता है।
12. सरकार बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो धन आवंटित करती है, वह भी वित्त वर्ष के अंत तक खर्च नहीं हो पाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बजट ज्यादा आवंटित हो रहा है या फिर जटिल नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है?
13. यदि सीमा सुरक्षा मजबूत न हुई तो देश में मादक पदार्थों की तस्करी (पाकिस्तान व अफगानिस्तान से) बढ़ जाएगी। जैसे पंजाब के क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर समस्या है।
14. भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। अतः व्यापारिक जहाजों आदि की सुरक्षा हेतु नौ सेना को सशक्त करना होगा।

शेकटकर समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेट जनरल शेकटकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं-

- पूर्व में गठित नरेश चंद्रा समिति की तरह इस समिति ने 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) के पद के सृजन की बात कही है। यह CDS अधिकारी भारतीय सेना व रक्षा मंत्रालय के बीच समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निभायेगा।
- भारत की चीन, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से दुर्गम पहाड़ी व पठारी भौगोलिक सीमा लगती है। अतः थल सेना को आधुनिक बनाने तथा सैनिकों की संख्या में भी इजाफा करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा।
- केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को अपनी 'वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी वित्तीय परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में काफी समय लग जाता है।
- युद्ध से दूर रहने वाले रक्षा संगठनों (डिफेंस एकाउंट्स, DGQA, DRDO, राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि) की भूमिका एवं प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। इससे इन संगठनों को क्षमतापूर्ण बनाने में मदद मिलेगी।
- रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठनों के कर्मचारियों की दक्षता तभी बढ़ेगी, जब संगठन के हर स्तर पर वाजिब सुधार किये जायेंगे।

- सेना के लिए आवंटित बजट में 'पूँजी (कैपिटल) मद' और 'राजस्व मद' को अलग-अलग करना होगा। अभी आवंटित बजट का ज्यादातर हिस्सा (लगभग 70%) राजस्व मद (जवानों की सेलरी, पेंशन आदि) पर चला जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि बजट का अधिकतम हिस्सा पूँजी मद (आधुनिक हथियार निर्मित करने आदि में) में जाये।

सैन्य सुधार हेतु अन्य मौलिक सुझाव

1. अप्रासांगिक हो चुके नियम-कानूनों को समाप्त करना होगा।
2. अगर सैनिकों को तकनीकीयुक्त एवं क्षमतापूर्ण बनाया जायेगा तो सरकार सैनिक संख्या में कमी करके धन की बचत भी कर सकती है जिसका उपयोग अन्य सैन्य तकनीकी रिसर्च में किया जा सकता है।
3. संचार तकनीक, इंजीनियरिंग, सैन्य प्रशिक्षण, ऑर्डिनेंस इकाइयों आदि में बड़े पैमाने पर रिफार्म लाने की आवश्यकता है।
4. उच्च स्तर पर रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है ताकि सेना के तीनों अंगों, रक्षा मंत्रालय व स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय व संचार स्थापित हो सके।
5. रक्षा खरीद में त्वरित निर्णय व अनुमोदन की आवश्यकता है।
6. सैन्य जरूरत के सामान, लड़ाकू विमान, विमान वाहक युद्धपोत, पनडुब्बी आदि के स्वदेशी निर्माण पर बल देने की आवश्यकता है। इससे देश रक्षा उपकरणों व तकनीक में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि निर्यात भी कर सकता है।
7. सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए थल, वायु और नौसेना का 'ज्वाइंट प्रशिक्षण कॉलेज' की स्थापना की जानी चाहिए।
8. 'राष्ट्रीय कैडेट कोर' की क्षमता में सुधार लाने होंगे।
9. सेना में लैंगिक समानता पर भी ध्यान दिया जाये। हालांकि भारत सरकार ने अभी महिला एवं पुरूष कमीशन स्तर के अधिकारियों का समान वेतन, थलसेना के सैन्य पुलिस में महिला जवानों की भर्ती आदि कई प्रगतिशील कदम उठाये हैं।
10. डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि संगठनों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से सैन्य उपकरण तैयार करने होंगे। इन संगठनों को सैनिकों की छोटी-छोटी जरूरतों के उपकरणों पर विशेष ध्यान देना होगा।
11. सेना में ड्राइवरों और क्लर्कों की भर्ती के लिए नए मानक तैयार किये जायें।
12. सेना के प्रशिक्षण और पेंशन पर होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए।
13. सीमा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 'बाड़ (Fensing)' लगाने की आवश्यकता है।
14. पड़ोसी देशों के साथ उच्च स्तर पर सैन्य मीटिंग नियमित रूप से होनी चाहिए जिससे कि गलतफहमी को लेकर बड़े विवादों से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष

सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को संतुलित करने के लिए सेना के पुनर्गठन के साथ-साथ उसके मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के साथ सलाह-मशविरा करके चरणबद्ध तरीके से सुधार करने का फैसला लिया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे सेना की क्षमताओं में विकास होगा और देश की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होगा। जिस देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होती है, वहाँ शांति व स्थिरता आती है। सुरक्षित, शांत व स्थिर देश में विदेशी निवेश और निजी निवेश आते हैं जिससे देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार को सेना में महिलाओं की भूमिका और बढ़ानी होगी (विशेषकर नॉन-कॉम्बैट के क्षेत्र में)। इसके अलावा वेतन आदि मुद्दे पर भी समानता प्रदान करनी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

3. शंघाई सहयोग शांति मिशन-2018

चर्चा में क्यों

हाल ही में 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच रूस के युराल क्षेत्र में शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा एक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। यह युद्धाभ्यास प्रति 2 वर्ष में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा शान्ति मिशन के रूप में आयोजित किया जाता है। इस शान्ति मिशन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया है। इस एससीओ शान्ति मिशन का उद्देश्य आतंकवाद और चरमपंथ की बढ़ती घटनाओं से निपटना है और एससीओ के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

परिचय

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद की घटनाओं का मुकाबला करने में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आतंकवाद हमेशा देशों की सीमाओं के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण देश के विकास की रफ्तार प्रभावित होती है। भारत द्वारा हमेशा इस प्रकार की कठिनाईयों का सामना करने के लिए और एससीओ के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने हेतु तथा आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कानूनी समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में सीएसओ द्वारा एक क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (आरएटीएस) की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय ताशकंद में बनाया गया। यह एससीओ का स्थायी निकाय है। इस निकाय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में आतंकवाद विरोधी एक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास में एससीओ के सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। एससीओ के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य देशों के आपसी साझाकरण द्वारा आतंकवाद से लड़ने की रणनीतियों को तैयार करना तथा आतंकवादी गतिविधियों को आपसी सहयोग द्वारा समाप्त करना है।

इसके अलावा एससीओ के मुख्य लक्ष्यों में सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास, दोस्ती को बढ़ाना तथा परस्पर पड़ोसी देशों में शान्ति, सुरक्षा और स्थिरता का सुदृढ़ीकरण करना भी शामिल है। इसके साथ ही एक निष्पक्ष तर्कसंगत और लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बहुआयामी सहयोग प्रदान करना है। एससीओ अवैध नशीले पदार्थो और हथियार तस्करी एवं अन्य प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही भी करेगा। यह पहला मौका

नहीं है जब यह शान्ति मिशन आयोजित किया जा रहा है इससे पहले भी इस तरह के अभ्यास हो चुके हैं। 'आरएटीएस' का पहला सैन्य अभ्यास वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात प्रति 2 वर्ष में ऐसे युद्धाभ्यास हुए हैं। तब भारत एससीओ का सदस्य नहीं था। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाया गया। जबकि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2005 से ही एससीओ के पर्यवेक्षक देश रहे हैं। भारत की सदस्यता के लिए समर्थन रूस ने की थी जबकि इस समूह में पाकिस्तान को चीन द्वारा समर्थन दिया गया था। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के बारे में डेटा का आदान-प्रदान करना एवं नकली या जाली दस्तावेजों की पहचान कराना भी इस समूह का उद्देश्य है।

एससीओ शान्ति मिशन के मुख्य बिंदु

एससीओ का शान्ति मिशन अभ्यास 2018, एससीओ की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में एससीओ के सभी आठ सदस्य देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से 200 सैनिकों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इस टुकड़ी में थलसेना के 167 जवान और वायुसेना के 33 जवान शामिल हुए। इस मिशन की मुख्य बात यह रही कि इसमें भारत और पाकिस्तान एक साथ किसी सैन्य अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिए। भारत की आजादी के बाद यह ऐसा पहला मौका है जहाँ भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने शान्ति मिशन के लिए युद्धाभ्यास किया। ज्ञात हो कि इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तान के 110 सैनिक शामिल हुए।

शान्ति मिशन अभ्यास के लाभ

यह अभ्यास एससीओ देशों की सशक्त सेनाओं को बहुराष्ट्रीय और संयुक्त माहौल के परिदृश्य में आतंकवाद की कार्यवाही से निपटने के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि एससीओ के इस शान्ति मिशन अभ्यास से मध्य और दक्षिण एशिया में स्थिरता आएगी। इस शान्ति अभ्यास से एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाने के साथ ही नए खतरों, चुनौतियों से निपटने, क्षेत्रीय शान्ति और स्थिरता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एससीओ शान्ति मिशन एससीओ देशों के बीच सहयोग की प्रमुख पहल है और एससीओ रक्षा सहयोग के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक घटना है। इस शान्ति मिशन युद्धाभ्यास के दायरे में पेशागत बातचीत और अन्य प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान और नियंत्रण अवसंरचनाओं की स्थापना तथा आतंकवाद के खतरे का सफाया शामिल है। अतः इस तरह के शान्ति अभ्यास से आतंकवाद को समाप्त करने में पूर्णतः मदद मिलेगी। इसके अलावा एससीओ हर तरह के अतिवाद को खत्म करने के उद्देश्य को अपने प्रमुख लक्ष्यों में शामिल करता है। इसमें किसी भी तरह की चरमपंथी विचारधारा, धार्मिक, जातीय, वैचारिक और राजनैतिक उग्रवाद तथा नस्लीय असहिष्णुता शामिल है। अतः इस तरह के संयुक्त अभ्यासों से इन सभी अतिवादी संगठनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन एक राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसकी शुरुआत चीन और रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई देशों ने की थी। दरअसल इसकी शुरुआत चीन के अतिरिक्त उन चार देशों से हुई थी जिनकी सीमाएँ चीन से मिलती थीं अर्थात् रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इसलिए इस संघठन का प्राथमिक उद्देश्य था, चीन के अपने इन पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा-विवाद का हल निकालना। इन्होंने अप्रैल 1996 में शंघाई में एक बैठक की। इस बैठक में ये सभी देश एक-दूसरे के बीच नस्ली और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए आपस में सहयोग करने पर राजी हुए। इस सम्मेलन को शंघाई-5 कहा गया। इसके बाद 2001 में शंघाई-5 में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की औपचारिक स्थापना हुई। एससीओ के विकास को यदि देखा जाए तो वर्ष 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एससीओ के सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने पहली बार हिस्सा लिया। 2016 तक भारत एससीओ में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में सम्मिलित था। भारत ने सितम्बर 2014 में शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया। जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के साथ-साथ पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। वर्तमान में एससीओ की स्थाई सदस्य देशों की संख्या 8 है- चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और किस्तान। जबकि चार देश इसके पर्यवेक्षक हैं- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा एससीओ में छह देश डायलॉग पार्टनर हैं- अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।

शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य उद्देश्य

सदस्यों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना। तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र, ऊर्जा, यातायात और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना। पर्यावरण का संरक्षण करना। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे को सहयोग करना। आंतकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटना।

भारत के सदंर्भ में

आजादी के बाद यह पहली बार हुआ कि भारत और पाकिस्तान ने एक साथ युद्धाभ्यास किया हालांकि इससे पहले दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के शान्ति अभियानों में एक साथ काम कर चुके हैं। विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन नाटो के जैसा ही एक अपनी तरह का सुरक्षा संगठन समूह बन सकता है। इस कारण एससीओ में भारत का शामिल होना और उसके युद्धाभ्यासों में हिस्सा लेना अत्यधिक प्रासांगिक हो जाता है। भारत का एससीओ के रिजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर (आरएटीएस) का हिस्सा होने के बाद यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन के विशेषज्ञों ने कहा कि रूस में हुए इस शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के संयुक्ताभ्यास से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने में मदद मिलेगी और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा मिलेगा। बीजिंग की नार्मल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर ली शिंग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का संयुक्ताभ्यास एससीओ के जरिए सुरक्षा सहयोग में नई ऊँचाई को दिखाता है। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच कई टकराव हैं लेकिन एससीओ अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक बातचीत में मदद कर सकता है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परारी इंटरनेशनल रिलेशंस में दक्षिण एशियाई देशों की शोधार्थी ली ली ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा पर लगातार तनाव के कारण कई चीजें बाधित हुई हैं। उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास, आतंकवाद से निपटने की क्षमता बेहतर बनाने और क्षेत्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने के वास्ते सदस्य देशों के लिए यह एक बड़ा मंच है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दौरान एससीओ देशों के चीफ जनरल स्टाफ भी बैठक करेंगे। चूंकि भारत और पाकिस्तान के

अलावा इस अभ्यास में रूस, चीन, किरगिस्तान, कजखिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया है, अत: भारत के लिए इन सभी मध्य एशियाई देशों से अपने संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। एससीओ निश्चित रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है। इस कारण भी भारत यूरेशियन क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण समूह को नहीं छोड़ सकता। भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना आवश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति इस मंच के माध्यम से पूरी की जा सकती है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया चूंकि वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक देश हैं अत: इन देशों से भी भारत को आतंकवाद जैसे मुद्दों से लड़ने और व्यापार संबंधों को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

एससीओ की सदस्यता से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।इस मंच पर भारत, रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है। रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी, आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है। अत: निश्चित तौर पर एससीओ की पूर्ण सदस्यता भारत के लिये विभिन्न दृष्टिकोणों से हितकारी है।

आगे की राह

भारत हमेशा आतंकवाद का पुरजोर विरोध करता रहा है और वह ऐसे लगभग प्रत्येक संगठन एवं समूह का हिस्सा बनना चाहेगा जो आतंकवाद के खिलाफ विकसित किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ज़ाहिर है कि भारत एससीओ का सदस्य देश होने के साथ-साथ मध्य एशियाई देशों में बड़ी भूमिका भी निभाता है। इसके साथ चूंकि एससीओ के लक्ष्य भी भारतीय हितों से मेल खाते हैं जिनमें आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई तथा क्षेत्रीय अखण्डता सुरक्षा और पड़ोसी देशों में स्थिरता लाना आदि शामिल हैं। अत: भारत का एससीओ के शान्ति मिशन, 2018 में शामिल होना प्रत्येक दृष्टिकोण से भारत के हितों को साधने वाला प्रतीत होता है। और निश्चित तौर पर एससीओ के सभी देश और पर्यवेक्षक देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकने में पूर्णत: समर्थ भी हैं। इसके अलावा भारत का एससीओ का पूर्ण सदस्य बनना भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती छवि को दर्शाता है। भारत इस मंच का उपयोग करके चीन तथा पाकिस्तान से अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है तथा वर्षो से लंबित पड़े सीमा विवादों को सुलझा सकता है। इस मंच की सहायता से ही भारत मध्य एशियाई देशों से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बना सकता है और इससे भारत की 'लुक वेस्ट नीति' को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत को इस मंच का लाभ राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये ही उठाना चिहिये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. इंडिया वेज रिपोर्टः मजदूरी का अवलोकन

चर्चा में क्यों

हाल ही में 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) ने 'इंडिया वेज रिपोर्ट' (India Wage Report) जारी की। इसमें भारत में लोगों की कमाई/मजदूरी को लेकर निम्न तथ्य उजागर किए गए हैं-

- भारत में पिछले दो दशक से औसत आर्थिक विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रही लेकिन इस हिसाब से न तो मजदूरी में बढ़ोतरी हुयी और न ही आर्थिक असमानता में कमी आयी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक वेतन में समानता, बेहतर कार्य परिस्थितियों को प्राप्त करने और समावेशी विकास के लक्ष्य के पाने हेतु भारत के सामने गम्भीर चुनौतियाँ हैं।
- उपर्युक्त असमानता लैंगिक, शहरी एवं ग्रामीण आदि सभी क्षेत्रों में विद्यमान है।

इसके पहले ILO अपनी एक रिपोर्ट में भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया को रोजगार संकट पर चेतावनी दे चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दक्षिण एशिया में 72%, दक्षिण-पूर्व एशिया में 46% एवं पूर्वी एशिया में 31% कर्मचारियों के पास अच्छी जॉब की किल्लत होगी। भारत पर इसका खास प्रभाव होगा तथा यहाँ करोड़ों युवाओं के पास ढंग का काम नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- स्थापना- 29 अक्टूबर, 1919
- मुख्यालय- जेनेवा, (स्विट्जरलैण्ड)
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है।
- इस संस्था की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए, उनके हितों की रक्षा हेतु नियम-कानून बनाने, विभिन्न देशों के विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा हेतु हुई थी।
- इस संस्था को 1969 में विश्व शांति के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिलहाल इसके 187 देश सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। ILO का एक देश (कुक्स द्वीप) ऐसा सदस्य है, जो UNO का सदस्य देश नहीं है।
- ILO प्रत्येक वर्ष जेनेवा में 'इंटरनेशनल लेबर कॉन्फरेंस' का आयोजन करता है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत तो पंजीकृत कर सकती है, किंतु कार्यवाई नहीं कर सकती है।

इंडिया वेज रिपोर्ट की मुख्य बातें: इस रिपोर्ट का पूरा नाम 'इंडिया वेज रिपोर्ट: वेज पालिसीज फॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ' है जिसकी निम्नलिखित रिपोर्ट है-

उच्च आर्थिक ग्रोथ के बावजूद मजदूरी में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं

- भारत में संवृद्धि कुछ हाथों में सिमटकर रह गयी है।

- सरकार की नीतियों का सही से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण समावेशी विकास नहीं हो पाया है।
- 1990 के दशक में एक 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर' लाया गया था। लेकिन इसे अभी तक कानूनी रूप नहीं प्रदान किया गया है।
- 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO)' के 'रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण' के अनुसार 2011-12 में नियमित मजदूरों की औसत मजदूरी 247 रुपये और आकस्मिक मजदूरों की औसत मजदूरी 143 रुपए प्रतिदिन थी। इस आंकड़े से ज्ञात होता है कि भारत की GDP के अनुसार मजदूरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।

वेतन/मजदूरी में विद्यमान असमानताएँ

- औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र आदि सभी में श्रमिकों के वेतन में असमानायें विद्यमान हैं। शहरी क्षेत्र के उच्च कौशल वाले पेशवरों ने औसत से अधिक वेतन प्राप्त किया है, जबकि शहर में ही कार्य करने वाले अनौपचारिक कामगारों को औसत से काफी कम वेतन प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भारी किल्लत है और जो कुछ चंद लोगों को रोजगार मिला है उन्हें राष्ट्रीय औसत से काफी कम वेतन प्राप्त होता है।
- 1993-94 में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर 48% था जो 2011-12 में घटकर 34% पर पहुँच गया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह अभी भी काफी ऊँचा है। मजदूरी में यह लैंगिक असमानता नियमित एवं अनियमित, सरकारी एवं निजी, शहरी एवं ग्रामीण आदि सभी प्रकार के श्रमिकों में है किंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनियमित महिला श्रमिकों की स्थिति काफी चिंताजनक है।
- पुरूषों के मुकाबले महिलाओं के लिए कम वेतन की दर के अलावा लगभग 60 मिलियन श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर' से कम मजदूरी प्राप्त होती है।

रोजगार का पैटर्न

1. भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि के परिण ाामस्वरूप सेवा तथा उद्योग क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बदलाव का यह पैटर्न काफी मामूली है।
2. श्रमिकों का एक बड़ा स्तर कृषि क्षेत्र में संलग्न है किंतु GDP में इसका योगदान बहुत कम है।
3. यद्यपि संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है किंतु इस क्षेत्र में अभी भी भारी संख्या में नौकरियाँ औपचारिक प्रकृति की बनी हुई हैं।
4. सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान है, किंतु इसमें रोजगार सृजन की स्थिति काफी निम्न है।

'समावेशी विकास' एवं 'मजदूरी प्रणाली' में सुधार हेतु मुख्य सिफारिशें

1. भारत जनसंख्या बाहुल्य देश है। अतः यहाँ रोजगार सृजन की भारी आवश्यकता है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
2. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को विभिन्न सरकारी व निजी प्रयासों से औपचारिक अर्थव्यवस्था में तब्दील करना होगा।
3. भारत में हर क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
4. श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
5. भारत ने 1948 में 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के माध्यम से श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की थी, किंतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की काफी जटिल प्रणाली होने के कारण अपेक्षित लाभ नहीं हुआ है। अतः सरकार को 1990 में लाये गए 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर' को एक उपयुक्त कानूनी ढाँचे में लाना होगा। इससे कारपोरेट सेक्टर द्वारा श्रमिकों का शोषण सीमित हो सकेगा।
6. सरकार को अपनी नीतियों को इस प्रकार से बनाना एवं क्रियान्वयित करना होगा कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए 'समावेशी विकास' किया जा सके।
7. सरकार को मजदूरी के सख्त व स्पष्ट नियम-कानून बनान होंगे।
8. समय-समय पर नियमित आधार पर 'सांख्यिकीय डाटा' को एकत्र करना होगा और उसी के आधार पर नीतियाँ बनानी होंगी।
9. समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना होगा।
10. नियमित तथा साक्ष्य आधारित समायोजन की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

1. आर्थिक समीक्षा ने बेरोजगारी की गंभीरता का उल्लेख करते हुए कहा है कि रोजगार में वृद्धि की दर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच श्रम शक्ति में 2.23 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह आंकड़ा इस दशक में रोजगार में 1.4 प्रतिशत वृद्धि के अधिकतर अनुमानों से अधिक ही है। समीक्षा में कहा गया है कि रोजगार के अधिक तीव्र अवसर सृजित करना स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती है।
2. श्रम कानूनों के वर्तमान स्वरूप से खड़ी हुई चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में भी कहा गया था कि 'केंद्र तथा राज्य सरकरों के द्वारा लागू श्रम कानूनों का आधिक्य विनिर्माण क्षेत्र के समुचित विकास के अनुकूल नहीं है।'
3. श्रम क्षेत्र का 80 प्रतिशत से अधिक भाग असंगठित होने के कारण श्रम कानूनों के दायरे से बाहर है और शेष प्रतिशत संगठित श्रम क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर नियामिकीय हस्तक्षेप से परेशान है।
4. उद्योग इकाईयाँ लम्बे समय से श्रम कानूनों को लचीला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मजदूर यूनियनों को लगता है कि बदलावों से कामगारों में रोजगार की असुरक्षा पनपेगी और यूनियन बनाना कठिन हो जायेगा।
5. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 68वें चक्र के अनुसार भारत में कुल रोजगार की निम्न स्थिति देखी गयी-
   i. स्वरोजगार-52%
   ii. अस्थाई रोजगार-30%
   iii. नियमित रोजगार-18%

   भातर में स्वरोजगार तथा अस्थाई रोजगार का उच्च स्तर न केवल जॉबलेस ग्रोथ को दिखाता है बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि रोजगार की गुणवत्ता सही नहीं है।
6. भारत में काम की दुनिया जाति, धर्म, क्षेत्र आदि आधार पर बंटी हुई है। इससे कई तरह की दिक्कतें होती हैं। खासतौर पर महिलाओं में अलग-अलग समूहों में श्रमिकों का एक जगह स्थिर होना, इसके अलावा मजदूरी में भारी अंतर, भेदभाव आदि।
7. भारत में मजदूरी में लैंगिक अंतर दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा यानि

26 फीसदी है। जबकि विकसित देशों में मजदूरी मेहनताने के मामले में लैंगिक अंतर 15 फीसदी से भी कम है।

8. श्रमिकों की खेती पर काफी ज्यादा निर्भरता है।

भारत सरकार द्वारा श्रम सुधार हेतु प्रयास

केंद्र तथा राज्य सरकरों ने समय-समय पर श्रम सुधार हेतु विभिन्न नीतियाँ व कानून बनाये। तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, गैरजवाबदेहिता, लालफीताशाही आदि वजहों से भारत में श्रम व रोजगार की स्थिति दयनीय बनी हुयी है।

- भारत सरकार ने आजादी के उपरांत 1948 में न्यूनतम मजदूरी हेतु अधिनियम बनाया था किंतु सरकारी उपेक्षाओं व जटिलता के चलते न्यूनतम मजदूरी में अपेक्षित बदलाव नहीं आ पाये।
- श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 44 और राज्य सरकरों द्वारा बनाए गए 100 अन्य श्रम संबंधी कानून लागू हैं।
- वर्तमान सरकार ने श्रमिकों की प्रतिष्ठा स्थापित करने, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने तथा सुशासन के कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। सरकार का मंत्र 'श्रमेव जयते' है। श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया था।
- भारतीय श्रम कानूनों को ठोस बनाने के लिए श्रम मंत्रालय ने सभी श्रम कानूनों को पाँच श्रम संहिताओं वेतन संहिता, सुरक्षा एवं कार्य के माहौल की संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता तथा रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य संहिता में समेटने की प्रक्रिया आरंभ की है। औद्योगिक संबंधों पर प्रस्तावित संहिता में श्रम यूनियन अधिनियम (1926), औद्योगिक रोजगार अधिनियम (1946) तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) के प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ मिलाने की बात है। मजदूरी पर श्रम संहिता में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936), बोनस भुगतान अधिनियम (1965) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) के प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ शामिल किया जायेगा।
- 'अप्रेंटिस अधिनियम, 1961' को उद्योग एवं युवाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए 2014 में उसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में सुधार हेतु 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' भी लाया गया।
- उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु 'मुद्रा योजना' लायी गयी है। जिसके द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वर्ष 1991 के सुधारों के बाद भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया है। अत: 'न्यू इंडिया विजन' को साकार करने हेतु सरकार 'नई औद्योगिक नीति' लाने पर कार्य कर रही है। इस नई औद्योगिक नीति के माध्यम से गाँवों में उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थानों से छोटे पैमाने पर उद्योगों को जोड़ने और वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जोड़ने पर जोर दिया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना है, ताकि भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित किया जा सके। पूर्व में सरकार द्वारा निम्न वर्षों में 6 औद्योगिक नीतियाँ लायी जा चुकी हैं- 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 एवं 1991।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास (संशोधन) बिल, 2018

इस बिल के माध्यम से सरकार MSMEs का श्रेणीकरण उनके 'वार्षिक टर्न ओवर' के आधार पर करेगी-

1. **सूक्ष्म उद्योग:** 5 करोड़ रुपये से कम टर्न ओवर।
2. **लघु उद्योग:** 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपये के बीच का टर्न ओवर।
3. **मध्यम उद्योग:** 75 से 250 करोड़ रुपये के बीच का टर्न ओवर।

इस बिल के द्वारा MSMEs उद्योग और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनेंगे। उनका GST वेरीफिकेशन आसान होगा एवं टैक्स वसूली भी पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।

आगे की राह

1. विभिन्न रिपोर्ट एवं दस्तावेज बता चुके हैं कि यदि औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देना है अथवा भारत की बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए रोजगार सृजन करना है तो यथास्थितिवादी रूख से लाभ नहीं होगा। 2014-15 की मध्य आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि श्रम कानूनों में सुधार करने एवं कारोबार करने की लागत में कमी लाने के लिए 'राज्यों और केंद्र को संयुक्त प्रयास करने होंगे।'
2. श्रम समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र तथा राज्य दोनों के स्तर पर श्रम कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता है।
3. समग्र रोजगार सृजन के लिए श्रम के अधिक प्रयोग वाले वस्त्र एवं परिधान, चर्म एवं फुटवियर, रत्न एवं आभूषण और खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे उद्योगों को मांग में उतार-चढ़ाव के अनुरूप अपनी श्रम शक्ति में कमी या वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए। श्रमिकों के प्रति न्याय से समझौता किए बगैर श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान होना चाहिए।
4. श्रम सुधार इस तरीके से होने चाहिए, जिससे दोनों साझेदारों श्रमिक एवं उद्योग को उसका लाभ मिले।
5. चूंकि कामगार अधिकार विपन्न लोग होते हैं अत: सरकार को इनके हितों को सर्वोपरि रखना होगा।
6. मजदूरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को छोटे उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए।
7. भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है-
   - i. GDP की ग्रोथ रेट को त्वरित गति से बढ़ाना।
   - ii. अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके लिए 'क्षेत्र विशेष नीतियों' को लागू करना।
   - iii. जो लोग ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं को लागू किया जा सकता है।
   - iv. लोगों को व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

5. दावानल की बढ़ती बारम्बारता

चर्चा में क्यों

ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगलों में भंयकर आग लगने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गयी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए।

भारत में भी हिमालयी वन क्षेत्र अक्सर आग की लपटों से घिर जाता है। इन प्रदेशों में हर साल 'फायर सीजन (गर्म व शुष्क दिनों में)' में जंगल धधकते हैं। वर्ष 2016 में उत्तराखण्ड राज्य के जंगलों में भीषण आग लगी थी।

दावानल : एक आपदा के रूप में

जब प्रकृतिजन्य या मानवजनित चरम घटनाएँ मानव अधिवास क्षेत्रों में घटित होती हैं तो इन्हें 'आपदा' कहते हैं। दावानल भी एक आपदा है, जिससे वृहद स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, जान-माल आदि की क्षति होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी विश्व के अन्य क्षेत्रों की तरह दावानल की बारम्बारता व गहनता में वृद्धि हुई है।

एफएसआई के अनुसार दावानल की घटना सबसे अधिक (90 प्रतिशत) मानवीय कारकों से होती है जबकि सिर्फ 10 प्रतिशत केसों में प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं।

एफएसआई के अनुसार भारत का आधे से अधिक वन क्षेत्र 'फॉयर प्रोन' (प्रवृत्त) है। दावानल के निम्न तीन अंग (Component) हैं:

i) ऑक्सीजन

ii) ईंधन

iii) ऊष्मा

ऑक्सीजन व ईंधन वनों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। यदि किसी कारण (मानव जनित या प्राकृति) से वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो भीषण आग जन्म लेती है:

प्राकृतिक कारक

- बिजली का चमकना।
- ज्वालामुखी के उद्गार से।
- कई वनस्पतियाँ (यथा-चीड़, साल, यूकेलिप्टस आदि के पेड़) आग का 'उत्तम ईंधन' होती हैं। चीड़ में अधिक मात्रा में आयल होता है, इसलिए इसमें आग जल्दी पकड़ती है।
- पहाड़ की ढ़ाल में पत्थरों के लुड़कने (rolling) की घटना होती है जिससे वे आपस में घर्षण (friction) करते हैं और आग उत्पन्न होती है।
- सूखे बांस के पेड़ आपस में रगड़ खाकर आग की चिंगारियों को उत्पन्न करते हैं।
- तेज हवायें जंगल की आग को फैलाने में सहायक होती हैं।

मानवीय कारण

- 'स्थानांतरण कृषि/झूम कृषि पद्धति (Shifting Cultivation)' में वनों में आग लगाई जाती है, जिससे दावानल की संभावना काफी बढ़ जाती है।
- वृक्षों की पत्तियाँ (विशेषकर तेंदू की पत्तियाँ) व सूखी घास आदि भी आग के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जंगलों पर विभिन्न तरीके से अतिक्रमण होने से वहाँ मानवीय गतिविधियों में इजाफा होता है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
- आदिवासी लोग अपनी विभिन्न दैनिक दिनचर्या व प्रथाओं में आग का इस्तेमाल करते हैं।
- 'वनाग्नि मैनेजमेंट' को प्रभावी ढंग से लागू न किया जाना।
- पूर्वी हिमालयी प्रदेश में बारिश की मात्रा कम होने से मिट्टी में नमी की कमी रहती है जिससे इस क्षेत्र में आग लगने की संभावना अधिक होती है।
- बड़े स्तर पर औद्योगिकीकरण ने भी इस आपदा को बढ़ाया है।
- 'फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन' (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार भू-मध्य सागरीय क्षेत्र एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सबसे अधिक दावानल की घटनायें होती हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग दावानल आपदा को बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिससे वर्षा का पैटर्न बदल रहा है व शुष्क मौसम की बढ़ोत्तरी हो रही है। मौसम की शुष्कता और तेज हवाओं ने आग की भयावहता को बढ़ाया है। दावानल से उत्पन्न गैस व धुंआ ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है तथा जंगलों के विनाश होने से CO_2 का अवशोषण भी नहीं हो पाता है। अत: स्पष्ट है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग दावानल जैसी आपदाओं को जन्म देती हैं और फिर दावानल खुद ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करता है।
- अल नीनो की घटना से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की कमी हो जाती है जिससे दावानल के अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। उल्लेखनीय है कि अल नीनो की घटना में बढ़ोतरी का कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है।
- जंगलों की आग 'पारिस्थितिकी तंत्र' का एक भाग नहीं हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से आग बहुत कम लगती है और इसका विस्तार भी कम होता है। मनुष्य ने विकास के नाम पर

पर्यावरण को वृहद स्तर पर हानि पहुँचाई है जिसके कारण जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

वनाग्नि से होने वाले नुकसान

- जैव-विविधता का ह्रास होता है।
- प्राकृतिक वन सम्पदा नष्ट हो जाती है।
- वनों के नष्ट होने से पृथ्वी की कार्बन डाई ऑक्साइड को सोखने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि पेड़ ही उसके फेफड़े हैं।
- मृदा की नमी, सूक्ष्म पोषक बैक्टीरिया, ह्यूमस आदि नष्ट हो जाती है।
- कई वन्य जीव आग की चपेट में आकर मर जाते हैं। उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने से वे मानव अधिवासों की ओर आते हैं, जिससे मानव-जानवरों के मध्य संघर्ष का खतरा बढ़ता है।
- ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोत्तरी होती है।
- बाढ़, भूस्खलन आदि घटनाएँ बढ़ती हैं क्योंकि मृदा को रोकने वाले पेड़ खत्म हो चुके होते हैं।
- कई समुदायों (यथा-आदिवासी) की आजीविका वनों पर आधारित होती है। वनों के नष्ट होने से इनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाती हैं
- वनाग्नि से धुँआ, कार्बन डाई आक्साइड आदि का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
- मृदा आग से जलने पर कठोर हो जाती है, जिससे उसकी जल संग्रहण की क्षमताओं में कमी आ जाती है जिससे भू-जल स्तर नीचे चला जाता है।
- पर्यटन उद्योग को नुकसान।
- इसके अलावा विभिन्न तरह की सामाजिक व आर्थिक क्षति होती है।

दावानल को रोकने हेतु उपाय

- 'ग्लोबल फॉयर मॉनीटरिंग सेंटर' (जीएफएमसी) आग से प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के माध्यम से देशों को अपने-अपने अनुभव व तकनीक एक-दूसरे से शेयर करने चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु हाल ही में 'पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' और 'विश्व बैंक' ने मिलकर नई दिल्ली में इंटरनेशनल वर्कशाप का आयोजन किया। इसमें वनाग्नि को रोकने एवं उसके प्रबंधन आदि की बात की गयी।
- इंटरनेशनल वाइल्ड लैंड फायर समिट (International Wild Land Fire Summit, 2003) का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुआ। इसमें निम्न गाइडलाइन जारी की गयीं:
  - 'फॉयर मैनेजमेंट' हेतु मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।
  - जंगलों को आग से बचाने के लिए रिसर्च एवं डवलपमेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है इसीलिए भारत सरकार ने "Central Fire Management Research and Training Institute" (केंद्रीय दावानल प्रबंधन रिसर्च और ट्रेनिंग संस्थान) की स्थापना की।
  - 1970 में कैलीफोर्निया के जंगलों में भीषण आग के लगने से अमेरिकी सरकार 'Incident Command System (हादसा कमान प्रणाली)' को लायी। जिसे बाद में भारत सरकार ने इसे भारतीय परिस्थितियों के जरूरत के मुताबिक संशोधित करके अपनाया। ICS में समन्वयन (Coordination) एवं संसाधनों के उत्तम उपयोग को प्राथमिकता दी गयी है।
- 1976 में वनाग्नि के बेहतर प्रबंधन हेतु केन्द्र सरकार ने 'वनाग्नि' को राज्य सूची से निकालकर 'समवर्ती सूची' में शामिल किया।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम' पारित किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की गयी। इस एक्ट के द्वारा ही 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल' (एनडीआरएफ) का गठन किया गया क्योंकि आपदा में बचाव और राहत कार्यों के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है।
  - 'राष्ट्रीय वन नीति (1998) में भी 'फॉयर सेफ्टी' की बात की गयी है।
  - भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए ''फॉरेस्ट फॉयर अलर्ट सिस्टम संस्करण 2.0'' लाया गया है। इसमें 'Real Time Monitoring of Forest Fire Alert' सिस्टम को लाया गया है। इससे जंगल में आग लगने के पूर्व ही आगाह किया जा सकेगा। इसमें सेटेलाइट आधारित तकनीकी के द्वारा डाटा को एकत्र किया जायेगा और उसे उच्च तकनीक से प्रोसेस कर सटीक जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- उच्च गुणवत्ता की कम्युनिकेशन तकनीकी अपनानी होगी।
- राहत कर्मियों को फॉयर प्रतिरोधी कपड़े उपलब्ध कराने चाहिए।
- वनाग्नि से संबंधित 'डाटा बैंक' बनाने की आवश्यकता है जिससे वनाग्नि का ट्रेंड, समय, कारण आदि की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
- इस आपदा को रोकने हेतु नई तकनीक को अपनाना होगा।
- हमारे देश में अलग-अलग वनों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अतः वनाग्नि के पूर्व व पश्चात् प्रबंधन हेतु स्थानीय जरूरत के मुताबिक रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए 'डॉउन टू टॉप' की एप्रोच से नीतियाँ बनानी होंगी।
  - एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समुदाय आदि को समन्वित व सहयोगी ढंग से कार्य करना होगा। अर्थात् सरकार को 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' पर बल देना चाहिए।
  - चीड़ जैसी वनस्पतियों को हिमालय के निचले भागों में रोपने से बचना चाहिए।
  - फॉरेस्ट फॉयर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम (एफएमपी) द्वारा सरकार 'आपदा पूर्व प्रबंधन' एवं 'आपदा पश्चात् प्रबंधन' के लघुकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों उद्देश्यों को साध रही है।
  - सरकार को मिश्रित वन शैली पर जोर देना होगा क्योंकि मिश्रित वनों में आग कम लगती है।
  - वनों में ईंधन, कूड़ा-कचरा आदि के ढेर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए।
  - आपात हेल्प लाइन नम्बर की आवश्यकता है।
  - जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वॉटर होल व पानी के पाइप बिछाये जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

■

6. वर्तमान राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों

हाल ही मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूरगामी सोच, कविताओं, पोखरण टेस्ट, कारगिल में भारत को मिली जीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढाने के लिये हमेशा याद किया जायेगा। वे देश के एक महान नेता थे जिनमें न सिर्फ पार्टी को बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की अद्‌भुत क्षमता थी।

जीवन परिचय

वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर 1924 को ग्वालियर में हुआ था उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी अपने गाँव के महान कवि और एक स्कूलमास्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर के बारा गोरखी के गोरखी ग्राम की गवर्नमेंट हायरसेकण्ड्री स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वे शिक्षा प्राप्त करने ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज (अभी लक्ष्मी बाई कॉलेज) गये और हिंदी, इंग्लिश तथा संस्कृत में डिस्टिंक्शन से पास हुए। उन्होंने कानपुर के दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके लिये उन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। ग्वालियर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनैतिक काम करना शुरू किया, वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे उसके जनरल सेक्रेटरी भी बने। 1939 में एक स्वयंसेवक की तरह वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गये और वहाँ बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर उन्होंने 1940-44 के दर्मियान आरएसएस प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षण लिया तथा 1947 में आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गये। 1951 में अटल जी भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में चुने गए। 1968 से 1973 तक वो भारतीय जन संघ के अध्यक्ष रहे। विपक्षी पार्टियों के अपने दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल भेजा गया। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वो इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे अच्छा पल बताते हैं। 1980 में वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे।

देश में विभाजन के बीज फैलने की वजह से उन्होंने लॉ की पढाई बीच में ही छोड़ दी और प्रचारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया तथा जल्द ही वे दीनदयाल उपाध्याय के साथ राष्ट्रधर्म (हिंदी मासिक), पंचजन्य (हिंदी साप्ताहिक) और दैनिक स्वदेश एवं वीर अर्जुन जैसे अखबारों के लिये काम करने लगे। अटल जी को देश-विदेश में अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 25 दिसम्बर 2014 को राष्ट्रपति कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार "भारत रत्न" देने की घोषणा की गयी। उन्हें सम्मान देते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी खुद 27 मार्च 2015 को उनके घर में उन्हें वह पुरस्कार देने गये थे। उनका जन्मदिन 25 दिसम्बर "गुड गवर्नेंस डे" के रूप में मनाया जाता है।

अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होनें भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 50 सालों की संसदीय राजनीति, आमतौर पर लोग जितनी उम्र गवा देते हैं खुद को राजनीति में स्थापित करने में, अटल बिहारी वाजपेयी ने उतने साल राजनीति की। एक पार्टी बनाना, पार्टी को 2 से 200 तक के आंकड़े पर पहुंचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद की जमानत बचाने से लेकर, बिखर रही सरकार को बचाना और जनता का समर्थन लेकर पार्टी को फिर से आसमान तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वाजपेयी ने लोकतंत्र की ललाट पर अपने विजय की कहानी खुद लिखी।

सांसद से प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए एवं 1962 से 1967 और 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 16 मई 1996 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उनकी यह सरकार महज 13 दिन ही चली। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनावों में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने लेकिन AIDMK (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) द्वारा गठबंधन से समर्थन वापस ले लेने के बाद उनकी सरकार गिर गई और एक बार फिर आम चुनाव हुए। 1999 में हुए चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा घोषणापत्र पर लड़े गए और इन चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व को एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। अटल जी की इस सरकार ने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और इस माध्यम से उन्होंने देश में गठबंधन की राजनीति को नया आयाम दिया। इन 5 सालों में राजग सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं।

अटल सरकार ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की और दिल्ली, कलकत्ता,

चेन्नई व मुम्बई को राजमार्ग से जोड़ा गया। 2004 में देश में लोकसभा चुनाव हुआ और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शाइनिंग इंडिया का नारा देकर चुनाव लड़ा। इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। वामपंथी दलों के समर्थन से काँग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनायी और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके बाद लगातार अस्वस्थ रहने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल जी ने भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया।

अटल बिहारी वाजपेयी की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका

राजस्थान में पोखरण के रेगिस्तान में मई 1998 में पांच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। 1998 के आखिर और 1999 के आरंभ के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ एक राजनीतिक शांति प्रक्रिया शुरू की। दशकों पुराने कश्मीर विवाद और कई अन्य संघर्षों को दूर करने के उद्देश्य से, ऐतिहासिक दिल्ली-लाहौर बस सेवा का उद्घाटन फरवरी 1999 में हुआ।

कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और पाकिस्तान के गैर-वर्दीधारी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा सीमावर्ती पहाड़ी के अपने सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पुनः कब्जा किया गया। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था, जो उत्तरी लाइट इन्फैंट्री सैनिकों और पाकिस्तानी आतंकवादियों को वापस खींचने में सफल रहा था, जिन्होंने लगभग 70% क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिये थे।

दिसंबर 1999 में, भारत को एक संकट का सामना करना पड़ा जब इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी 814 को पांच आतंकियों ने अपहरण कर लिया और अफगानिस्तान भेज दिया था। उन्होंने बदले में कुछ आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिनमें मौलाना मसूद अजहर के नाम भी शामिल थे। अत्यधिक दबाव के तहत सरकार ने तत्कालीन मंत्री जसवंत सिंह को अफगानिस्तान में आतंकवादियों के साथ वार्ता कर यात्रियों के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजा था।

वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधारों को शुरू किया, निजी और विदेशी क्षेत्रों से निवेश को प्रोत्साहित किया तथा अनुसंधान और विकास को प्रेरित किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत का दौरा किया, जो 22 वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। एक बार फिर संबंधों पर जमी बर्फ को तोड़ने के प्रयास में, वाजपेयी ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दिल्ली और आगरा में संयुक्त शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था, हालांकि शांति वार्ता सफलता हासिल करने में विफल रही।

संसद को 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा, जिसे सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था एवं आतंकवादियों को मार गिराया था।

देश का सकल घरेलू उत्पाद भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा। देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि औद्योगिक और सार्वजनिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण से बेहतर हुई। विदेशी निवेश में वृद्धि, आईटी उद्योग में तेजी, नई नौकरियों का सृजन, औद्योगिक विस्तार, और बेहतर कृषि फसल आदि इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धी रही।

वाजपेयी जी की विदेशी नीति

वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों के पक्षधर थे। वो नेहरू को इस मामले में अपना आदर्श मानते थे। पाकिस्तान में भी उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि वहां के पीएम को कहना पड़ा था कि आप यहां से भी चुनाव जीत सकते हैं। अटल जी ने सैन्य तानाशाह बनने पर मुशर्फर की आलोचना की थी लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले बधाई दी। वो बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच संबंध सुधारना चाहते थे लेकिन जब पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ा तो उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। संसद पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को चेतावनी देने में देर नहीं की। शांति के पक्षधर होने के बावजूद वाजपेयी ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को अटल संदेश दिया था। 1999 के ठंडी के मौसम में बस लेकर लाहौर पहुंचे अटल जी ने भारत-पाक रिश्तों में नई गर्मी ला दी थी। उनकी इस मुहिम को पूरी दुनिया ने सलाम किया था।

वाजपेयी जी का ही वो दौर था जब भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा। इसके पहले भारत रूस की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता था लेकिन वाजपेयी जी ने अपनी विदेश नीति में एक नया मोड़ लाया और अमेरिका से देश के संबंधों को आगे बढ़ाया। वाजपेयी की नीति और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव अमेरिकी जैसे देशों पर पड़ा एवं अमेरिका ने भी अपनी विदेश नीति में भारत को अहम स्थान दिया। अमेरिका से रक्षा समझौते से लेकर वीजा संबंधी मामले, आर्थिक समझौते आदि पर सहमति बनी जिसका फायदा भारत को विदेशी निवेश के रूप में हुआ।

उल्लेखनीय है कि वाजपेयी जी का जोर सिर्फ पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करने का नहीं था बल्कि एशिया व अफ्रीकी देशों से भी उनके समय में संबंध बेहतर रहे। भारत के पड़ोसी देशों ने भी (पाकिस्तान को छोड़कर) भारत के साथ मित्रवत संबंध बनाये रखा जिससे कि शांति प्रक्रिया बहाल करने में मदद मिली। विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत का मूलमंत्र रहा है वाजपेयी जी के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था।

1999 में जब आतंकियों ने कांधार विमान अपहरण किया तो वाजपेयी जी ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए प्रजा की रक्षा की और मजबूरन तीन आतंकियों को छोड़ा था। कश्मीर पर वो काम करना चाहते थे। 'इंसानियत', 'जम्हूरियत' और 'कश्मीरियत' के मंत्र से वो कश्मीर समस्या का समाधान चाहते थे। वो घाटी के नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की वकालत करते थे। यह वाजपेयी की अटल विचारधारा का नतीजा है कि उनके साथ जहां नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने गठबंधन सरकार में अपनी भागीदारी निभाई वहीं घोर विरोध के बावजूद पीडीपी ने भी बीजेपी से दोस्ती की। वाजपेयी जी ने कभी अपने-पराए का भेद नहीं किया। जरूरत पड़ी तो राजीव गांधी की तारीफ की और जरूरत समझी तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत भी दी।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अन्य प्रमुख कार्य

- स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
- कावेरी जल विवाद को सुलझाया, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद था।
- संरचनात्मक ढाँचे के लिये बड़ा कार्यदल, विद्युतीकरण में प्रगति लाने के लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, सॉफ्टवेयर विकास के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल आदि का गठन किया।
- देश के सभी हवाई अड्डों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया; कोकण रेलवे तथा नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढाँचे को मजबूत करने जैसे कदम उठाये।
- आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति भी गठित की जिस वजह से काम जल्दी होने लगे।
- अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त करके आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया।

- उन्होंने बीमा योजना की भी शुरूआत की जिस वजह से ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को (NRI) काफी फायदा हुआ।
- 1951 में अटल जी भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में चुने गए।
- वाजपेयी के कार्यकाल में ही दिल्ली मेट्रो की शुरूआत हुई।
- सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था।
- पोटा कानून (प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म) इन्हीं के समय बना था।

निष्कर्ष

वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका कोई शत्रु नहीं था इसीलिए इन्हें "अजातशत्रु" भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ऐसे में वाजपेयी जी जैसे महान नेताओं की कमी खल रही है। आज देश के सभी नेताओं को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है जिससे कि पक्ष और विपक्ष का मतभेद भुलाकर देशहित में कठोर निर्णय लिया जा सके।

उल्लेखनीय है कि वाजपेयी जी अपनी निजी स्वार्थों को कभी भी अपनी राजनीतिक उत्तरदायित्व के बीच में नहीं आने दिये। वे हमेशा ऐसे निर्णय लेते रहे जो पार्टीहित से उपर देशहित में था। देश का नाम विदेशों में भी ऊंचा करते रहे और कभी भी किसी देश का पिछलग्गू नहीं बने। विकसित देश हो या विकासशील सभी के साथ देशहित को आगे रखकर संबंधों की नई इबाबत लिखी। कई बार उनके सामने पार्टी के लोगों द्वारा विरोध हुआ फिर भी अपनी वाकपटुता एवं कुशल नेतृत्व के कारण समस्या को आसानी से सुलझा ले गये। अपने मंत्रियों से लेकर देश के छोटे कर्मचारियों पर उनकी अमीट छाप रही, जो उनकी महानता को इंगित करता है।

देश को विकासशील से विकसित बनाना है तो ऐसे महान पुरूषों के द्वारा दिखाये गये मार्गों पर चलना होगा। वाजपेयी जी हर समस्या का समाधान बातचीत से सुलझाने में विश्वास रखते थे जो वर्तमान समय की मांग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी का स्थान तो कोई नहीं भर सकता लेकिन उनके द्वारा बताये गये तथा दिखाये गये रास्तों पर चलकर हम उनकी सच्ची श्रद्धांजली को चरितार्थ कर सकते हैं।

अपने इरादे के पक्के और विचारों की प्रगाढ़ता, जो उन्हें निडर बनाती थी, कि एक झलक उनकी कविता से देखी जा सकती है।

ठन गई!
मौत से ठन गई।
जूझने का मेरा इरादा न था!
मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था!
रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई!
यों लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई।।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।

■

7. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयः देश के खेल भविष्य का द्वार

चर्चा में क्यों

15 अगस्त, 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 'राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले 'नार्थ-ईस्ट' से अलगाववाद व हिंसक घटनाओं की खबर आती थी, किंतु अब यह क्षेत्र खेल के मैदान में अपनी चमक बिखेर रहा है और आगे बढ़कर देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की मेजबानी कर रहा है। इसके पहले 1 जून, 2018 को माननीय राष्ट्रपति जी ने 'राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय' बनाने हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू)' स्थापित करने की घोषणा की थी।
- इससे सम्बन्धित विधेयक को संसद में पेश किया गया था, किंतु यह पारित न हो सका। अतः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से 23 मई, 2018 को इम्फाल (मणिपुर की राजधानी) में पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी, जिस पर 1 जून, 2018 को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मुहर लगायी।
- मणिपुर सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लगभग 325 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध करायी है।
- अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं का सबसे बड़ा आयोजन 'ओलंपिक गेम' है। हर बार कुछ चुनिंदा देश ही इसकी पदक तालिका में छाये रहते हैं। रियो ओलंपिक (2016) पर गौर करें तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और चीन आदि उच्च रैंक पर रहे। इसका क्या कारण है कि कम आबादी वाला देश 'यूनाइटेड किंगडम' मेडल सूची में दूसरे नम्बर पर है? इन देशों ने ऐसा क्या किया जिससे वो लगभग हर खेल में अग्रणी बने हुए हैं।
- **चीनः** विकासशील देश होते हुए भी चीन खेलों के मामले में विकसित देशों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है।

- 1988 के सियोल ओलम्पिक (दक्षिण कोरिया) में चीन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसे वहाँ राष्ट्रीय शर्म और अपमान के रूप में देखा गया। अतः चीन ने एक सशक्त खेल नीति बनायी और 2008 के बीजिंग ओलम्पिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया।
- माओत्से तुंग ने एक बार कहा था कि 'सेहत पहले पढ़ाई बाद में'।
- चीन में कई नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी है, जो लाखों विश्वस्तरीय स्पोर्ट्सपर्सन तैयार करती है। वहाँ की स्थानीय व राज्य स्तरीय टीमों में भी स्तरीय खिलाड़ियों की भरमार है।
- **बीजिंग स्पोर्ट यूनिवर्सिटी:** इसकी स्थापना 1953 में ही कर दी गयी थी। इस यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कई स्कूल हैं। यह यूनिवर्सिटी विभिन्न ग्रेजुएट एवं अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम चलाती है। इसमें खेल विज्ञान, कोचिंग, सामुदायिक खेल (Community Sports), परंपरागत चीनी खेल, व्यावहारिक मनोविज्ञान (Applied Psychology), विज्ञापन, एथलिट एवं मीडिया शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तर का शिक्षण-प्रशिक्षण एवं रिसर्च होता है और इसका देश-विदेश के विश्वविद्यालयों से बेहतर तालमेल है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका में भी कई उच्च दर्जे के खेल विश्वविद्यालय हैं। यथा- यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा आदि। 'यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा' फुटबॉल एवं वालीबॉल के खिलाड़ी तैयार करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यहाँ खेल विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को नियंत्रित करने हेतु 'ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज एवं कालेज ऑफ स्पोर्ट्स (BUCS)' एक गवर्निंग बॉडी है। यह देश में खेल से सम्बन्धित नीतियाँ, विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करने आदि का कार्य करती है।

खेल के लाभ

- पढ़ाई से मानसिक क्षमता और व्यायाम से शारीरिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन खेल एक ऐसी विधा है, जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दोनों में ही चुस्त-दुरूस्त बनाती है।
- भारत में 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। अतः यदि युवाओं को नशाखोरी, उग्रवाद, आतंकवाद आदि गतिविधियों से बचाना है तो उनके रूझान को खेल की तरफ मोड़ना होगा।
- खेलकूद से स्वस्थ्य जीवन-शैली के साथ गतिशील जनसंख्या का निर्माण किया जा सकता है।
- खेल राष्ट्रवाद को आकार देने के साथ-साथ सशक्त करते हैं। अतः खेलकूद क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- देश की आत्मा खेल से परिलक्षित होती है। इसके अलावा यह डिप्लोमेसी के लिए भी एक कारगर हथियार है। यथा- भारत-पाक सम्बन्धों में क्रिकेट अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की टीमों ने संयुक्त तौर पर एशियन गेम्स में भाग लिया आदि।
- यह संसाधन विपन्न लोगों को भी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य करता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद, जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववाद एवं छत्तीसगढ़ व झारखण्ड में फैले नक्सलवाद को मंद करने में खेल सहायक होगा।
- खेलों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसे- क्रिकेट की आईपीएल लीग से एक बड़े बाजार का जन्म हुआ तथा विभिन्न तरह की आर्थिक गतिविधियाँ सम्पन्न हुयीं। अतः यह रोजगारपरक क्षेत्र है।
- खेल हमारे देश के युवाओं को विश्व मंच पर सम्मान व गौरव प्रदान करता है, जिससे देश की वैश्विक साख बढ़ती है।

भारत में खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यो?

- भारतीय संस्कृति में खेल को पढ़ाई में बाधा पहुँचाने वाला कार्य समझा जाता है। बहुत कम युवा इस क्षेत्र को अपने कैरियर के रूप में देखते हैं। अतः भारत में स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक विश्वस्तरीय ढाँचा उपलब्ध कराने हेतु इस विश्वविद्यालय का निर्माण आवश्यक था।
- विश्व में खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में खेल विश्वविद्यालयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है।
- भारत में खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु।
- इस विश्वविद्यालय में खेल से सम्बन्धित ग्रेजुएट, अंडरग्रेजुएट आदि स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा सकते हैं।
- इससे खेल के क्षेत्र में रिसर्च व डवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- खेल से सम्बन्धित उत्तम प्रतिभा को एक बड़ा प्लेटफार्म प्राप्त हो सकेगा।
- यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण समेत खेल शिक्षा को बढ़ावा देगा। इससे देश के खेल प्रदर्शन में सुधार होगा।
- एक मीडिया कर्म की रिसर्च के मुताबिक भारत में 85% से अधिक जनसंख्या विभिन्न तरीकों से खेल प्रतिस्पर्द्धाओं को देखती है। इस बात से यह स्पष्ट है कि भारत में खेलों को लेकर रूचि की कमी नहीं है।
- राज्यसभा की सदस्य और ओपंपिक पदक विजेता मैरीकॉम ने सदन की चर्चा में कहा कि इस प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय से खेलों को बढ़ावा मिलेगा और छिपी हुई प्रतिभाएँ सामने आयेंगी।

खेल विश्वविद्यालय इम्फाल (मणिपुर) में ही क्यों?

- सरकार 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र' को विभिन्न माध्यमों से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना चाहती है। अतः खेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- संसाधनों की तंगी के बावजूद उत्तर-पूर्व क्षेत्र आज कई खेलों में अपनी चमक बिखेर रहा है। यथा- बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, तीरंदाजी, फुटबाल आदि। इसने एम.सी. मैरीकाम (मुक्केबाजी), दीपा कर्माकर (जिमनास्टिक), बाइचुंग भूटिया (फुटबाल) जैसे सितारे दिये हैं।
- 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र' हिमालय के पूर्वी विस्तार पर स्थित है। अतः यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जैसे- आदिवासी लोग अपनी तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं।
- इस क्षेत्र में हिंसक व अलगाववादी गतिविधयाँ अधिक हैं। अतः सरकार युवाओं की ऊर्जा को इन गतिविधियों से हटाकर खेल की ओर मोड़ना चाहती है।
- यह विश्वविद्यालय भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' को एक नई दिशा देगा।
- भारत सरकार खेलों के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास की बहार लाना चाहती है।

चुनौतियाँ

1. भारत में खेलों के विकास हेतु स्कूलों एवं कालेजों आदि में प्रारम्भिक ढाँचा तक मौजूद नहीं है। अभी जिले के स्टेडियम में कुछ गिने-चुने पार्ट टाइम खिलाड़ी औसत प्रशिक्षकों के साथ खेल से सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
2. अभी स्थानीय व राज्यस्तरीय टीमों में अव्वल खिलाड़ियों का टोटा रहता है।
3. भारत में खेलों को लेकर जनमानस में कई तरह के पूर्वाग्रह व्याप्त हैं। यहाँ खेल को कैरियर में बाधा के रूप में समझा जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र अपने बेटे को हॉकी में कैरियर न बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि भारत में खिलाड़ियों की आमदनी बहुत कम है तथा उन्हें अपना जीवन-यापन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
4. भारत में क्रिकेट ने अन्य खेलों पर बरगद के पेड़ की तरह छाया डाल रखी है जिससे ये पनप नहीं पा रहे हैं। अर्थात भारतीय मानस के 'खेल बोध' में क्रिकेट ने ऐसी जगह बना ली है कि अन्य खेलों के विकास की गति मंद पड़ गयी है।
5. यूरोपीय देशों के छोटे-छोटे शहरों में खेल के इतने मैदान हैं जितने हमारे पास प्रांत में भी नहीं है।
6. खिलाड़ियों के लिए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र में नौकरियों का भारी अभाव है।
7. खेल संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रशिक्षण व चयन की प्रक्रिया में धांधली के कारण युवाओं की ऊर्जा का विनाश होता है जो खेल के विकास में मुख्य अवरोधक है।
8. खेलों के प्रति सरकार की उदासीन प्रवृत्ति भी इसके विकास में बाधक है। 1950 के दशक तक भारत का प्रदर्शन औसत था, लेकिन सरकारों ने खेलों के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में भारतीय युवा पिछड़ते चले गये।
9. 'गेम्स एंड स्पोर्ट्स' को भारत में एक कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता है।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने 1961 में खेलों को बढ़ावा देने व शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण 'साई' का गठन किया। आज देश में इसके कई सेंटर हैं। यह 'डिपार्टमेंट ऑफ खेल', जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के तहत कार्य करता है।
- नेहरू युवा विकास केंद्र संस्थान, 1972 में स्थापित किया गया।
- 'राष्ट्रीय युवा नीति, 2014' के मुख्य उद्देश्यों में स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है।
- **खेलो इंडिया कार्यक्रमः नेशनल प्रोग्राम फॉर डवलपमेंट ऑफ खेलः-**
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खेल योजना का विलय करके 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया था।
  - इस कार्यक्रम से व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास को खेलों की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
  - इस कार्यक्रम से सामुदायिक खेल, परंपरागत देशी खेल, प्रतिभा खेल, उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्द्धात्मक ढाँचा, खेल की अर्थव्यवस्था आदि सभी की प्रणाली को दुरस्त किया जायेगा।
  - मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गयी है।

ओलम्पिक पोडियम कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों (पी.टी ऊषा, मैरीकाम, अनिल कुमार आदि) को नियुक्त करके ओलंपिक मिशनों (2020, 2024 आदि) की विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

आगे की राह

1. खेल का बुनियादी ढाँचा बढ़ाने के लिए सरकार को खेल को शिक्षा पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा तथा उस पर बाकायदा अंक व ग्रेड निर्धारित करने होंगे। जब खेल क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकतायें पूरी होंगी तो देश की राष्ट्रीय, राज्यीय, स्थानीय टीमों में लाखों स्तरीय युवा खिलाड़ी उभरेंगे जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
2. हमें खेल सेक्टर में प्रतिस्पर्द्धी माहौल बनाना होगा।
3. हमें क्रिकेट जैसा ढाँचा अन्य खेलों के लिए भी निर्मित करना होगा तथा आईपीएल जैसी लीग को अन्य खेलों में भी शुरूआत करने की आवश्यकता है।
4. यदि भारत खेल के लिए संरचनात्मक ढाँचें का विकास तथा उसके उन्नतीकरण पर बखूबी ध्यान दे और एक स्पष्ट खेल नीति के तहत काम करे तो वह 'खेल की महाशक्ति' बन सकता है।
5. अब देश के युवा पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, सुशील कुमार, मैरीकाम, दीपा कर्माकार, साक्षी मलिक आदि खिलाड़ियों को भी क्रिकेट सितारों की तरह अपना आइकान मानने लगे हैं जो भारत में विविधतापूर्ण खेल संस्कृति को दर्शाता है। अतः सरकार को इसमें निरंतरता व तेजी लाने हेतु प्रयास करने होंगे।
6. खेल संघों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना तथा इनमें उचित नियमन हेतु सरकार को एक सुदृढ़ संस्था विकसित करनी होगी।
7. जिन खेलों में हमारी सहज क्षमता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यथा- कबड्डी, तीरंदाजी आदि।
8. खेल के विकास हेतु कॉरपोरेट सेक्टर का निवेश, व्यक्तिगत निवेश, सरकारी निवेश आदि को प्रोत्साहित करना होगा क्योंकि खेल भी आगे चलकर एक वृहद बाजार बनकर उभर रहा है। यथा- आईपीएल लीग।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

राष्ट्र के विकास में राज्यों की निवेश क्षमता का अवलोकन

प्र. निवेश को आकर्षित करने वाले विभिन्न कारकों में राज्यों की वर्तमान स्थिति कैसी है बतायें? साथ ही राष्ट्र के भावी विकास में राज्यों के योगदान का वर्णन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- निवेश को आकर्षित करने वाले विभिन्न कारकों में राज्यों की स्थिति
- राष्ट्र के भावी विकास में राज्यों का योगदान
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों

- NCAER ने "स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेन्शियल इंडेक्स, 2018" जारी किया है।

निवेश को आकर्षित करने वाले विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति

- भूमि सुधार।
- श्रम सुधार।
- इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में।
- इकोनॉमिकल इनवायरमेंट।
- राजनीतिक स्थिरता एवं गवर्नेंस।

राष्ट्र के विकास में राज्यों का योगदान कैसा होना चाहिए?

- प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देकर राज्यों की रचनात्मक भूमिका व क्षमता का विकास करना होगा। इसके लिए नीति आयोग प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- राज्यों की विशेषता के अनुरूप ही वहाँ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यथा- बनारस (उत्तर प्रदेश) में साड़ी उद्योग, गुजरात में ज्वैलरी उद्योग आदि।
- वन आच्छादित क्षेत्र वाले राज्यों को 'कार्बन क्रेडिट' प्रदान की जानी चाहिए।
- जनसंख्या बाहुन्य वाले प्रदेशों में MSMEs उद्योगों की स्थापना पर बल व मानव क्षमता के विकास पर ध्यान देना होगा।
- समुद्र तटीय राज्यों में निर्यात सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत जनसंख्या बाहुल्य देश है। अत: यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए MSMEs को बड़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने हेतु पर्यटन, आधारभूत संरचनाओं के विकास आदि पर बल देना होगा। ■

सैन्य सुधारः सशक्त देश की अनिवार्य आवश्यकता

प्र. वर्तमान में आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक चुनौतियों एवं बदलते वैश्विक व क्षेत्रीय समीकरणों के बीच सैन्य सुधार कितने अपेक्षित हैं? शेकटकर समिति की सिफारिशों के आलोक में अपना मत प्रस्तुत करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- पृष्ठभूमि
- सैन्य सुधार क्यों आवश्यक है?
- शेकटकर समीति के रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें
- कुछ स्वयं के मौलिक सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों

- सरकार ने हाल ही में उत्तर, दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्रों के लिए तीन सैन्य थियेटर कमांड गठित करने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

- कारगिल रिव्यू कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, शेकटकर समिति।
- वर्तमान में भारतीय सेना के तीनों अंगों में समन्वय कम है।

सैन्य सुधार क्यों आवश्यक है?

- भारत के पड़ोसी देशों एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता चीनी दखल।
- पाकिस्तान की आतंकवाद नीति के कारण।
- विविधापूर्ण एवं विषम भौगोलिक सीमाओं के रक्षा हेतु।

शेकटकर समिति की सिफारिशें

- 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) के नियुक्ति की सिफारिश।
- रक्षा मंत्रालय की 'वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' में सुधार।
- युद्ध से दूर रहने वाले रक्षा संठनों की समीक्षा।

मौलिक सुझाव

- अप्रासांगिक कानूनों की समाप्ति, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पर जोर।

निष्कर्ष

- सैन्य क्षेत्र में सुधार आज समय की मांग है क्योंकि आंतरिक तथा बाह्य परिदृश्य प्रतिदिन बदल रहा है जिससे विभिन्न तरीके की सामरिक व आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अत: जितनी जल्दी हो सके सरकार को हर स्तर पर सैन्य व रक्षा सुधार लाने चाहिए। ■

शंघाई सहयोग शांति मिशन–2018

प्र. हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा आयोजित शान्ति मिशन युद्धाभ्यास-2018 भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- परिचय
- मुख्य बिंदु
- लाभ
- भारत के संदर्भ में लाभ
- आगे की राह

चर्चा में क्यों

- हाल ही में 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच रूस की यूराल क्षेत्र में एससीओ का शान्ति मिशन युद्धाभ्यास किया गया।

परिचय

- शंघाई सहयोग संगठन की एक इकाई आरएटीएस अर्थात रिजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रर द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में इस शान्ति मिशन युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य सभी अतिवादी गतिविधियों और आतंकवाद के विरूद्ध एकजुट होकर लड़ना है। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों की सेनाओं ने भाग लिया है।

मुख्य बिंदु

- इस युद्धाभ्यास में भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद पहली बार शामिल हुए हैं। एससीओ मध्य एशियाई देशों का एक बहुत बड़ा समूह है और इसकी आरएटीएस इकाई आतंकवाद से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

लाभ

- यह शान्ति मिशन अभ्यास एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा साथ ही नए खतरों और चुनौतियों से निपटने, क्षेत्रीय शान्ति और स्थिरता बढ़ाने में मदद करेगा।

भारत के लिए लाभ

- चूंकि भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद पहली बार इस तरह के युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं इससे दोनों देशों के मध्य विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

- भारत का शंघाई सहयोग संगठन के युद्धाभ्यास में शामिल होना भारतीय हितों की पूर्ति करता है। इससे भारत को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में काफी सहायता मिलेगी। ■

इंडिया वेज रिपोर्टः मजदूरी का अवलोकन

प्र. हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक विकास दर के मुताबिक मजदूरी दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है एवं वेतन में असमानतायें भी उच्च स्तर पर विद्यमान हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आपके अनुसार समावेशी विकास हेतु किस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहिए?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- इंडिया वेज रिपोर्ट की मुख्य बातें
- भारत सरकार के डाटा को देकर पुष्टि करेंगे
- भारत सरकार के प्रयास
- मौलिक सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों

- ILO की इंडिया वेज रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्थिक विकास दर के मुताबिक मजदूरी दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है एवं वेतन में असमानतायें भी उच्चस्तर पर विद्यमान हैं।

इंडिया वेज रिपोर्ट की मुख्य बातें

- आर्थिक विकास दर के मुताबिक मजदूरी का न बढ़ना।
- वेतन में भी असमानतायें विभिन्न स्तर पर हैं।

भारत सरकार के डेटा से इंडिया वेज रिपोर्ट की बातों का मिलान

- आर्थिक समीक्षा के अनुसार रोजगार में वृद्धि की दर श्रम शक्ति में वृद्धि दर से काफी पीछे हैं। इस स्थिति में श्रम की पूर्ति ज्यादा है जबकि मांग कम है। अत: वेतन की दर में गिरावट होना स्वाभाविक है।
- 1990 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी स्तर को अभी तक कानूनी रूप प्राप्त न होने से मजदूरों का शोषण होना स्वाभाविक है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति है एवं उन्हें अपेक्षाकृत कम मजदूरी प्राप्त होती है (2016 में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार)।

भारत सरकार के प्रयास

- श्रमेव जयते कार्यक्रम (2014)।
- श्रम मंत्रालय द्वारा सभी श्रम कानूनों को पांच संहिताओं-वेतन संहिता, सुरक्षा एवं कार्य के माहौल की संहिता आदि में समेटने की प्रक्रिया आरम्भ की है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाना।
- 'MSMEs बिल (2018)' के द्वारा रोजगार सृजन।
- नई औद्योगिक नीति।

मौलिक सुझाव

- MSME उद्योगों को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन।
- श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार को योजनाएँ चलानी होंगी।
- 'नई उद्योग नीति' को शीघ्र लाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- श्रम सुधार इस तरीके से होने चाहिए, जिससे दोनों साझेदारों- श्रमिक एवं उद्योग को उसका लाभ मिले एवं समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। ■

दावानल की बढ़ती बारम्बारता

प्र. जहाँ एक ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है, वही दूसरी तरफ दावानल जैसी आपदाओं की बारम्बारता व गहनता में वृद्धि भी की है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों?
- आपदा क्या होती हैं?
- दावानल जैसी आपदाओं के वृद्धि के कारण क्या हैं?
- वनाग्नि आपदा से होने वाले नुकसान।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास व मौलिक सुझाव।

चर्चा में क्यों

- ग्रीस के जंगलों में आग।
- भारत में भी लगभग हर साल हिमालयी क्षेत्र के वनों में आग लगती है।

आपदा क्या होती है?

- जब मानव जनित या प्रकृतिक चरम घटनायें मानव अधिवास क्षेत्रों में घटित होती है, तो इन्हें 'आपदा' कहते हैं।

आपदा के कारण

- मानवीय कारण।
- प्राकृतिक कारण।
- ग्लोबल वार्मिंग।
- अल नीनो।

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

- ग्लोबल फॉयर मानीटरिंग सेंटर।
- इंटरनेशनल वाइल्ड लैण्ड फॉयर समिट, 2003
- आईसीएस।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

मौलिक सुझाव

- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन।
- आपदा पूर्व एवं पश्चात् दोनों प्रबंधनों पर जोर।
- आपदा पूर्व अलार्मिंग सिस्टम की स्थापना।
- वृहद् स्तर पर डाटा को इकट्ठा करना व उच्च तकनीक से उसकी प्रोसेसिंग करना। ■

वर्तमान राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रासंगिकता

प्र. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें "अजातशत्रु" भी कहा जाता है, की विदेश नीति की चर्चा करते हुए, उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- जीवन परिचय
- सांसद से प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका
- वाजपेयी जी की विदेश नीति
- वाजपेयी सरकार के प्रमुख कार्य
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

जीवन परिचय

- अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था।
- ग्वालियर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनैतिक काम करना शुरू किया। वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे इसके जनरल सेक्रेटरी भी बने।

- 25 दिसम्बर 2014 को राष्ट्रपति कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार 'भारत रत्न' देने की घोषणा की गई एवं 27 मार्च, 2015 को उनको यह पुरस्कार दिया गया।

सांसद से प्रधानमंत्री

- अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनैतिक जीवन में नौ बार लोकसभा के लिये चुने गये।
- 16 मई, 1996 को वे पहली बार प्रधानमंत्री बने लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से महज 13 दिन में सरकार गिर गई।
- वर्ष 1998 में वे दुबारा प्रधानमंत्री बने लेकिन पुनः बहुमत के अभाव में सरकार गिर गई। इसके बाद 1999 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलायें।

प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका

- राजस्थान में पोखरण के रेगिस्तान में मई 1998 में पांच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गये थे।
- दशकों पुरानी कश्मीर विवाद और कई अन्य संघर्षों को पूरा करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक दिल्ली-लाहौर बस सेवा का उद्घाटन फरवरी 1999 में हुआ।
- वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधारों को शुरू किया।

वाजपेयी जी की विदेश नीति

- वाजपेयी जी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों के पक्षधर थे।
- वाजपेयी जी के समय में ही भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा।
- इसके साथ ही वाजपेयी जी के विदेश नीति के तहत दक्षिण एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध बने।

वाजपेयी सरकार के प्रमुख कार्य

- 19 फरवरी, 1999 को पाकिस्तान से अच्छे संबंधों में सुधार की पहल करते हुए सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरूआत की गई।
- स्वर्णिम चर्तुभुज परियोजना।
- आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन हुआ।

निष्कर्ष

- वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिनका कोई शत्रु नहीं था इसलिए उन्हें 'अजातशत्रु' कहा जाता है। राजनैतिक जीवन में जिस तरह के उदाहरण उन्होंने पेश किये हैं वह वर्तमान नेताओं के लिए एक सीख है। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा वाजपेयी जी के कार्यों में झलकता है। यह सही है कि देश ने एक महान राजनेता खोया है लेकिन यदि हम उनके बताएें हुए रास्ते पर आगे बढ़े तो यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजली होगी। ■

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयः देश के खेल भविष्य का द्वार

प्र. क्या भारत के लिए ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक पाने की कल्पना सम्भव हो सकती है? इसके लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- भारत में खेल की वर्तमान स्थिति
- खेल से होने वाले लाभ
- भारत सरकार द्वारा खेल को प्रोत्साहन देने की रणनीतियाँ
- कुछ मौलिक सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों

- मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।

भारत में खेल की वर्तमान स्थिति

- बुनियादी ढाँचे की कमी।
- खेल संस्थान व विश्वविद्यालय का न होना।
- भ्रष्टाचार।
- सरकारी उदासीनता।
- खेल नीतियों व कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन न हो पाना।

भारत सरकार द्वारा खेल को प्रोत्साहन देने की रणनीतियाँ

- राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण।
- राष्ट्रीय युवा नीति।
- खेलो इंडिया कार्यक्रम।
- ओलम्पिक पोडियम कार्यक्रम।
- इम्फाल में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।

मौलिक सुझाव

- देश में खेल संस्कृति को विकसित करना होगा।
- खेल के विकास हेतु विभिन्न स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन बड़ाने से भी खेलों का विकास किया जा सकता है।
- जिन खेलों में हमारी सहज क्षमता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यथा- कबड्डी, तीरंदाजी।

निष्कर्ष

- खेल में यदि संरचनात्मक ढाँचा को बढ़ाया जाये, खेल संस्कृति को बढ़ाया जाये, भ्रष्टाचार पर चोट की जाये, स्पष्ट व भावी खेल नीति का निर्माण किया जाये तो भारत भी अमेरिका, चीन और ब्रिटेन आदि देशों की तरह खेल महाशक्ति बन सकता है। ■

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. नीति आयोग की भारतीय हिमालयन क्षेत्रों पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने 23 अगस्त 2018 को भारतीय हिमालयन क्षेत्र (Indian Himalayan Region) में निरंतर विकास पर विषय संबंधी पांच रिपोर्टों की शुरूआत की हैं। हिमालय की विशिष्टता और निरंतर विकास की चुनौतियों को समझते हुए नीति आयोग ने जून 2017 में पांच कार्य दलों का गठन किया, ताकि विषय संबंधी पांच क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

इन विषयों में शामिल क्षेत्र हैं

- आविष्कार और जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों को फिर से चालू करना।
- भारतीय हिमालय क्षेत्र में निरंतर पर्यटन।
- कृषि की ओर बढ़ने के लिए परिवर्तनीय दृष्टिकोण।
- हिमालय में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को मजबूत बनाना।
- सुविज्ञ फैसले करने के लिए डेटा/जानकारी।

हालांकि विषय संबंधी इन क्षेत्रों का हिमालय के लिए काफी महत्व है। इस पर्वत की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए लचीलापन निर्मित करने के लिए विशेष समाधानों की आवश्यकता है जिससे वहां सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।पांच कार्य दलों की रिपोर्टों में इसके महत्व, चुनौतियों, वर्तमान कार्यों और भविष्य के रोडमैप के बारे में चर्चा की गई।

पांच क्षेत्रों की चुनौतियाँ

रिपोर्ट में विषय संबंधी सभी पांच क्षेत्रों की चुनौतियां बताई गई है। लोगों की जल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करीब 30 प्रतिशत झरने सूख रहे हैं और 50 प्रतिशत में बहाव कम हुआ है।

हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष पर्यटन 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और उसके कारण ठोस कचरा, पानी, यातायात, जैव-सांस्कृति विविधता के नुकसान संबंधी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

पर्यटकों की संख्या दोगुनी

भारत के हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में 2025 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है, कचरा प्रबंधन और जल संकट जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित अन्य विषयों के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

फसल को काटने और जलाने की प्रक्रिया

पूर्वोत्तर राज्यों में हजारों परिवार फसल को काटने और जलाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है, पर्यावरण, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को देखते हुए जिनका समाधान जरूरी है।

पहाड़ों में अकुशल कार्य बल भी एक चुनौती बना हुआ है जिसे युवकों के पलायन की समस्या को दूर करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही आंकड़ों की उपलब्धता, आंकड़ों की प्रामाणिकता, संगतता, आंकड़ों की गुणवत्ता, वैधता, हिमालयी राज्यों के लिए यूजर्स चार्जेस से जुड़ी चुनौतियों से भी निपटना जरूरी है ताकि शासन के विभिन्न स्तरों पर सुविज्ञ निर्णय किए जा सकें।

प्रमुख संदेश

रिपोर्टों से प्राप्त प्रमुख संदेशों में शामिल हैं- झरनों की मैपिंग और उन्हें दोबारा शुरू करना, हिमालयी राज्यों में विभिन्न चरणों में 8 कदमों के प्रोटोकोल का इस्तेमाल, सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में सामान ले जाने की क्षमता लागू करना, पर्यटन क्षेत्र के मानकों को लागू करना और उनकी निगरानी तथा उन राज्यों के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन जो मानकों का पालन कर रहे है।

प्रमुख सिफारिशें

प्रकृति का आकलन और कृषि क्षेत्र में बदलाव की सीमा, बेहतर नीतिगत सामंजस्य, एक निर्धारित अवस्था तक सुरक्षा और संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्रमुख सिफारिशें हैं।

कौशल और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करना

कौशल और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करने के लिए पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, पहाड़ों से लाभ वाले क्षेत्रों, प्रशिक्षकों के लिए निवेश, उद्योग साझेदारी में प्रशिक्षण केन्द्र पर ध्यान देने की जरूरत है। ■

2. प्राइवेट केमिस्टों को ऑक्सीटोसिन बेचने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्राइवेट केमिस्ट भी अब ऑक्सीटोसिन बेच सकेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों पर ऑक्सीटोसिन बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था लेकिन देश में ऑक्सीटोसिन की मांग को देखते हुए तथा इसकी कमी होने के डर के चलते इस प्रतिबन्ध को 01 सितंबर 2018 तक के लिए टाल दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए यह कहा गया है कि पुराने नोटिस में जारी डेडलाइन को रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (केएपीएल) एकमात्र कम्पनी है जो ऑक्सीटोसिन का निर्माण एवं इसे बेच सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पंजीकृत अस्पतालों और चिकित्सालयों को सलाह दी थी कि वे 01 जुलाई 2018 से ऑक्सीटोसिन खरीदने के लिए केवल केएपीएल से संपर्क कर अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। यह दवा अब किसी और रिटेल स्टोर पर नहीं मिलेगी। इसकी बिक्री किसी अन्य नाम या किसी अन्य कम्पनी द्वारा किए जाने पर उचित कारवाई की जाएगी।

ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबन्ध के कारण

- ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का उपयोग आमतौर पर हॉर्मोन पर असर डालने के लिए लगाया जाता है। इसका उपयोग दूध देने वाले पशुओं पर क्षमता से अधिक दूध देने के लिए किया जाता है।
- इसका इंजेक्शन लगा देने से पशु किसी भी समय दूध दे सकता है। यह स्वत: उत्पन्न होने वाला हार्मोन है जो कि गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है।

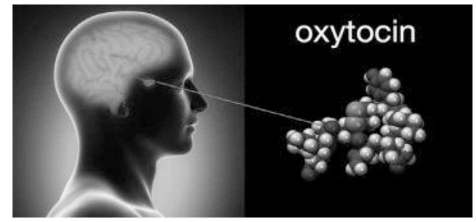

- इसके उपयोग से पशुओं में प्राकृतिक क्षमता कम होती है तथा दूध की गुणवत्ता में भी कमी आती है।
- वर्तमान समय में इसका उपयोग खेती में भी किया जा रहा है। आमतौर पर कद्दू, तरबूज, बैंगन, खीरा आदि का आकार बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

इससे सब्जियों का आकार रातों-रात बढ़ाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ■

3. भारत में 35 फीसदी साइबर हमलों के पीछे चीन का हाथ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भेजी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आधिकारिक भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों की अधिकतम संख्या चीन, अमेरिका और रूस से की गई है। साथ ही इस रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि भारतीय साइबर स्पेस में घुसपैठ करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए पाकिस्तान, जर्मन और कनाडाई साइबर स्पेस का उपयोग कर रहा है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट (जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है) ने अप्रैल-जून 2018 से साइबर हमलों के बारे में बताया है। सीईआरटी-इन नोडल एजेंसी है जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से संबंधित है। यह साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्रित कर विश्लेषण और प्रसारित करता है, तथा साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट जारी करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह देखा गया है कि चीन साइबर के रास्ते घुसपैठ कर रहा है। चीन के साइबर हमलों ने आधिकारिक भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों की कुल संख्या का 35% हिस्सा लिया, इसके बाद अमेरिका (17%), रूस (15%), पाकिस्तान (9%), कनाडा (7%) और जर्मनी (5%), यह कहता है। इन गतिविधियों से प्रभावित कई संस्थानों की पहचान की गई है, और उन्हें उचित निवारक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), रेलवे, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) और पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे कुछ बैंक शामिल हैं। साइबर स्पेस में घुसपैठ से संबंधित गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। अमेरिका और रूस के बाद चीन एक महत्वपूर्ण तरीके से साइबर स्पेस घुसपैठ कर रहा है। यह भी देखा गया है कि कनाडाई और जर्मन साइबर स्पेस से घुसपैठ की गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय वेस्बाइट्स पर साइबर हमला करने की संभावना भी जताई जा रही है। ■

4. सात राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति संपन्न

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 अगस्त 2018 को सात राज्यों- बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, मेघालय एवं त्रिपुरा में राज्यपालों की नियुक्ति की। बिहार के गवर्नर सत्यपाल मलिक को जम्मू एवं कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे एन.एन. वोहरा का स्थान लेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

सत्यपाल मलिक: जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल

सत्यपाल मलिक हिंसाग्रस्त और राजनीतिक तौर पर अस्थिर जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं। वे दस साल से राज्य के राज्यपाल एवं पूर्व अफसरशाह एन.एन. वोहरा का स्थान लेंगे। मलिक को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर सरकार ने राज्य में राजनीतिक व्यक्ति को भेजने की योजना पर अमल किया है। अब तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के लिए पूर्व सैन्य अधिकारी या अफसरशाह को ही नियुक्त किया जाता रहा है।

सत्यपाल मलिक का राजनीतिक जीवन

- उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरठ से छात्र नेता के तौर पर की थी।

- सत्यपाल मलिक, उत्तर प्रदेश स्थित बागपत में 1974 में भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए।
- वे राज्य सभा में दो बार, 1980 में लोक दल के उम्मीदवार के रूप में तथा 1986 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।
- वर्ष 1990 में उन्हें मनमोहन सिंह की कैबिनेट में संसदीय राज्य मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
- मलिक को सितंबर 2017 में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था।

लालजी टंडनः बिहार के राज्यपाल

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ है। लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे हैं। वाजपेयी के राजनीति से संन्यास लेने के बाद वर्ष 2009 में टंडन लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर सांसद बने।

तथागत रॉयः मेघालय के राज्यपाल

त्रिपुरा के गवर्नर को मेघालय के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, वे गंगा प्रसाद का स्थान लेंगे। रॉय 2002 से 2006 तक भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष थे और पार्टी टिकट पर दो बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे लेकिन असफल रहे। वर्ष 1990 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से पहले, रॉय कलकत्ता मेट्रो रेलवे परियोजना का हिस्सा रह चुके हैं।

गंगा प्रसादः सिक्किम के राज्यपाल

मेघालय के राज्यपाल को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गंगा प्रसाद 18 वर्षो तक बिहार में विधान परिषद के सदस्य और बिहार विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता थे।

कप्तान सिंह सोलंकीः त्रिपुरा के राज्यपाल

हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी को तथागत रॉय के स्थान पर त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। राज्य सभा के पूर्व सदस्य, सोलंकी को वर्ष 2014 में हरियाणा का गवर्नर बाया गया था। अगस्त 2009 में उन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया।

सत्यदेव नारायणः हरियाणा के राज्यपाल

सत्यदेव नारायण को राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने कप्तान सिंह सोलंकी का स्थान लिया है। वे एक प्रसिद्ध दलित नेता हैं तथा बिहार के आठ बार एमएलए रह चुके हैं। वे बीजेपी-जेडीयू गठबंधन के समय वर्ष 2010 में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे।

बेबी रानी मौर्याः उत्तराखंड की राज्यपाल

पूर्व आगरा महापौर और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के पूर्व सदस्य बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मौर्य आगरा से भाजपा नेता हैं। ■

5. भारत के चिड़ियाघर में पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ

मुंबई स्थित भायखला चिड़ियाघर में 15 अगस्त 2018 को देश के पहले पेंगुइन का जन्म हुआ। हम्बोल्ट प्रजाति के इस पेंगुइन का जन्म वन्यजीव विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ।

वर्ष 2017 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से आठ हम्बोल्ट पेंगुइन को मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में लाया गया था। इनमे से साढ़े चार साल की मादा हम्बोल्ट पेंगुइन फ्लीपर ने मोल्ट के साथ मिलकर पांच जुलाई को एक अंडा दिया था जिससे इस पेंगुइन का जन्म हुआ।

मुख्य बिंदु

- पेंगुइन आम तौर पर साढ़े तीन साल की उम्र में अंडे देते है, लेकिन फ्लीपर साढ़े चार साल की मादा हम्बोल्ट है और 21 जुलाई को मोल्ट तीन साल का हो जाएगा।
- इनके लिए मुंबई में भायखला चिड़ियाघर में रहने के लिए विशेष बंदोबस्त किये गए थे।
- इस चिड़ियाघर में मौजूद सात पेंगुइन में से मोल्ट सबसे छोटा है और फ्लिपर इस दल में सबसे बड़ी है। नन्हा चूजा इन दोनों की ही संतान है।

- मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर पेंगुइन प्रजनन के मौसम होते है। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने नवजात चूजे की तस्वीर और एक छोटा वीडियो भी जारी किया है लेकिन इसे अभी आम जनता को देखने की अनुमति नहीं होगी।

हम्बोल्ट पेंगुइन

- हम्बोल्ट पेंगुइन को पेरुवियन पेंगुइन भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिकी पेंगुइन है जो चिली और पेरू के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है।
- यह मध्यम आकार के पेंगुइन होते हैं जिनका आकार 56 से 70 सेंटीमीटर (22-28 इंच) होता है तथा इनका वजन 3.6-5.9 किलोग्राम तक होता है।
- इनके सिर एवं शरीर के ऊपरी भाग का रंग गहरा होता है तथा छाती पर भी काला बैंड होता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी जनसंख्या तेजी से घट रही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में इस पेंगुइन की जनसंख्या 10,000 तक रह गयी है।
- अमेरिका ने इसे वर्ष 2010 में लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया था। ■

6. सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को चिह्नित करने के लिए सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में देखने की घोषणा की है। महीनों के लंबे गहन अभियान को पोषण के संदेश के साथ हर घर तक पहुंचने के उद्देश्य से किया जाएगा- 'हर घर पोशन त्यौहार' (हर घर पोषण का उत्सव)।

राष्ट्रीय पोषण महीना

यह प्रसवपूर्व देखभाल, स्तनपान, एनीमिया से लड़ने, लड़कियों के लिए पोषण के महत्व और शादी की सही उम्र के बारे में संदेश, विकास निगरानी के महत्व के बारे में संदेश प्रदान करेगा और स्वच्छता को बढ़ावा देगा। यह संयुक्त रूप से NITI आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता, आवास एवं शहरी मामलों, मानव संसाधन विकास (HRD), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, जनजातीय मामलों, अल्पसंख्यक मामलों और आयुष सूचना और प्रसारण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

भारत में कुपोषण का बहुत अधिक बोझ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) के मुताबिक, 38.5 साल से कम आयु के भारत के बच्चों की संख्या (उनकी उम्र के लिए कम ऊंचाई), 21% कुपोषण का शिकार हो जाती हैं (उनकी ऊंचाई के लिए कम वजन) और 35.7% कम वजन। 2005-06 के बीच (जब NFHS-3 आयोजित किया गया था) और 2015-16 (जब NFHS-4 आयोजित किया गया था) कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 19.8% से बढ़कर 21% हो गया और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 6.4% से 7.5% हो गया। भारत 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) पर 119 देशों में से 100 वें स्थान पर है और GHI गंभीरता पैमाने में गंभीर श्रेणी के उच्च अंत में रखा गया है। मुख्य रूप से तथ्य यह है कि 5 वर्ष से कम आयु के हर पांच बच्चों में से एक कुपोषित है।

कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने पहले ही पोशन अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) को 9000 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की है। इसे मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य स्टंटिंग, अंडर पोषण, एनीमिया (युवा बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) को कम करने और जन्म के समय कम वजन की समस्या को कम करने का लक्ष्य है। मिशन का लक्ष्य 2022 तक छह साल की आयु तक बच्चों के बीच कुपोषण को 38.4% से 25% तक कम करना है। ■

7. तिरुवनंतपुरम में चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित किया जाएगा

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में एक चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय अगले एक महीने (अक्टूबर) के भीतर इस केंद्र को स्थापित करने की योजना बना रहा है।

चक्रवात चेतावनी केंद्र

वर्तमान में, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पास केवल चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई में चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं।

स्थापित करने का मुख्य कारण

केरल और कर्नाटक में चक्रवाती तूफान तथा अन्य मौसम संबंधी गंभीर गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महीने के भीतर तिरुवनंतपुरम में चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने की पहल की है।

मुख्य तथ्यः केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन (मछुआरों आदि के लिए) जारी करने के लिए पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस कदम से भारतीय मौसम विभाग के केरल में स्थित वर्तमान पूर्वानुमान गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।

- विभाग सभी राज्यों के राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ अगले महीने एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रहा है।
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए इस कार्यशाला में अधिकारियों को नए उपकरणों तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सी-बैंड डॉप्लर मौसम राडार स्थापित करने की योजना

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 2019 के अंत तक मैंगलोर में भी एक और सी-बैंड डॉप्लर मौसम राडार स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो केरल के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा।
- वर्तमान में केरल में दो डॉप्लर मौसम राडार हैं जिनमें एक कोच्चि और दूसरा तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
- इन 3 राडारों के माध्यम से पूरे राज्य में बारिश और गंभीर मौसम की घटनाओं की निगरानी रखी जाएगी और लोगों को मौसम संबंधित चेतावनी पहले से ही जारी की जाएगी। आईएमडी ने अब तक कई नए प्रारूप विकसित किए हैं।

अन्य जानकारी

- केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में नियमित मौसम चेतावनी के अलावा मछुआरों के लिए विशेष बुलेटिन जारी करने सहित अन्य कारगर कदम उठाएगी। साथ ही केरल में मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली की मौजूदा व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाया जाएगा।
- विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान की विश्वस्तरीय प्रणाली को विकसित करते हुए मौसम संबंधी आपदा की चेतावनी को 15 से 20 दिन पहले तक जारी करने की व्यवस्था लागू की है।
- इसमें मौसम संबंधी गतिविधियों की अति सक्रियता को देखते हुए 'नाउकास्ट' प्रणाली के माध्यम से आपदा से दो या तीन घंटे पहले तक चेतावनी जारी की जा सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग अक्टूबर महीने से सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों एवं अन्य संबद्ध इकाइयों के लिए जागरुकता एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन बनाने हेतु सहमति

भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के मध्य 23 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डोकलाम मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की गई तथा इसे परिपक्वता का उदाहरण बताया गया।

इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि इसमें भारत और चीन की सेनाओं के मध्य एक हॉटलाइन बनाने को लेकर सहमति जताई गई। सेनाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया।

भारत-चीन सैन्य स्तर बैठक

- बैठक में भारत द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में मूलभूत विकास की बात उठाने पर चीन की ओर से संयुक्त कार्यकारी दल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया।
- भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग के मध्य लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई।
- इस बात पर सहमति जताई गई कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास के काम को किसी दूसरे देश के खिलाफ फोकस करने के तौर पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए।

- बातचीत में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर भी चर्चा हुई और भारत ने इसे लेकर अपनी आपत्तियों से भी चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया।
- इसके अतिरिक्त रक्षा सहयोग को लेकर एक ड्राफ्ट एमओयू पर भी चर्चा की गई।

हॉटलाइन क्या होता है?

हॉटलाइन एक तरह की विशेष दूरभाष सुविधा है जिसमें एक व्यक्ति दूरभाष के जरिये दूसरे व्यक्ति से सुरक्षित लाइन द्वारा संपर्क करता है। इस प्रणाली में रिसीवर उठाते ही सम्बंधित व्यक्ति से संपर्क हो जाता है। इसमें डायल नहीं करना पड़ता है। यह संचार सेवा की सबसे सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है। इसमें एक दूरभाष से पहले से निर्धारित दूसरे दूरभाष से ही सम्पर्क होता है और संपर्क कहीं और नहीं जुड़ता।

संचार सेवा की इस विधा में संकट के समय पूर्व निर्धारित व्यक्ति से 24 घंटे किसी भी समय बिना किसी बाधा के बात की जा सकती है। मास्को और वाशिंगटन के मध्य विश्व की सबसे प्रसिद्ध हॉटलाइन सेवा है। इसे रेड टेलीफोन भी कहते हैं। यह हॉटलाइन सेवा 20 जून 1963 को प्रारम्भ हुई थी। ■

2. ईरान का पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान 'कौसर'

ईरान ने 21 अगस्त 2018 को अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान 'कौसर' का अनावरण किया। ईरान ने कहा है कि चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान का निर्माण केवल देश की रक्षा करने और शांति बनाए रखने के लिए किया गया है।

कौसर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ही बहुउद्देश्यीय राडार से भी लैस है। ईरान में पहली बार किसी लड़ाकू विमान का 100 प्रतिशत निर्माण देश में ही हुआ है।

कौसर लड़ाकू विमान

यह चौथी पीढ़ी का बहुउपयोगी राडार से लैस लड़ाकू विमान है। कौसर का अर्थ स्वर्ग में नदी को कहा जाता है तथा इसी नाम से कुरान में एक अध्याय भी है। यह दोहरी कॉकपिट वाला विमान है जिसमें एकल इंजन लगाया गया है तथा एकल पुच्छल पंख है।

यह अमेरिका द्वारा निर्मित एफ-5ए से मिलता जुलता विमान है जो लंबे समय तक ईरानी वायु सेना में कार्यरत रहा था। यह विमान कम दूरी के वायुसैनिक मिशन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह उन सभी प्रणालियों से लैस है जिससे लक्ष्यीकरण को सटीकता से निशाना बनाया जा सके।

ईरान की वायु सेना काफी हद तक 1860 की ईरानी क्रांति से पहले अधिग्रहित किए गए एफ-5ए सहित रूसी अथवा पुराने अमेरिकी मॉडल के कुछ दर्जन लड़ाकू विमानों पर निर्भर थी। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने कई नये लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल किये हैं। वर्ष 2013 में ईरान द्वारा कहर-313 नामक लड़ाकू विमान का अनावरण किया गया था जिसकी अमेरिका के एफ-22 एवं एफ-35 के साथ तुलना की गई थी। ■

3. चंद्रयान–1 से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर बर्फ की पुष्टिः नासा

नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान के आँकड़ों के आधार पर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के सबसे अंधेरे और ठंडे स्थानों पर पानी के जमे हुए स्वरूप में यानी बर्फ की मौजूदगी होने की पुष्टि की है। भारत ने 10 साल पहले इस अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया था।

नासा का मानना है कि चंद्रमा की सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आगे के अभियानों अथवा चंद्रमा पर रहने के लिए भी जल की उपलब्धता की संभावना है।

मुख्य बिंदु

- 'पीएनएएस' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि बर्फ के टुकड़े इधर-उधर बिखरे हुए हैं।
- दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ ल्यूनर क्रेटर्स के पास जमी हुई है तथा उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई है।
- वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरेलॉजी मैपर (एम3) से प्राप्त आँकड़ों का इस्तेमाल कर यह दिखाया है कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम मौजूद हैं।
- ये जल हिम ऐसे स्थान पर पाये गए हैं जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के थोड़ा झुके होने के कारण सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती।
- यहां का अधिकतम तापमान कभी माइनस 156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं गया।
- इससे पहले के आकलनों में अप्रत्यक्ष रूप से ल्यूनर साउथ पोल के सतह पर हिम की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी।

चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्रमिशन था। इसने 28 अगस्त 2009 को सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। इसरो ने इसके कुछ दिनों बाद ही आधिकारिक रूप से इस मिशन के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। इस मिशन को दो साल के लिए तैयार किया गया था। पहले ही साल की यात्रा में इसने 95 फीसदी लक्ष्यों को हासिल कर लिया था। ■

4. वर्ल्ड बैंक ने ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किया

विश्व बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की दुनिया में सबसे क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पहली बार ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किए हैं। पब्लिक के लिए जारी होने वाला यह अपनी तरह का पहला बॉन्ड है, जिसका पूरा संचालन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा।

योजना का प्रबंधन करने वाले कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इन बॉन्डों को दो वर्षों के लिए जारी किया जाएगा। विश्व बैंक के इस कदम से दशकों पुरानी बॉन्ड बिक्री की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा विश्व बैंक की मंशा ब्लॉकचेन तकनीक की सुरक्षा परखने का भी है, जिसे पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल पब्लिक रजिस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की योजना है। जारी किए गए सभी बॉन्ड की बिक्री आगामी 28 अगस्त तक होगी। विश्व बैंक ने इस डिजिटल बॉन्ड को 'बॉन्डी' नाम दिया है। विश्व बैंक के इस बॉन्ड को वैश्विक रेटिंग एजेंसियों (फिच, मूडीज) की ओर से ट्रिपल ए रेटिंग दी गई है। विश्व बैंक की योजना विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर साल 50 से 60 बिलियन डॉलर के बॉन्ड जारी करने की है।

क्रिप्टोकरेंसी की तरह होगा

ब्लॉकचेन बॉन्ड की तकनीक काफी हद तक क्रिप्टोकरेंसी (बिटक्वाइन) से मिलती-जुलती है, जिसकी डिजिटल माध्यम से खरीद फरोख्त की जा रही थी। लेकिन इसके गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता है और इसके स्रोत का भी खुलासा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की मदद से जारी होने वाला ब्लॉकचेन बॉन्ड बाकायदा असली मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होगा।

ऑस्ट्रेलियाई बाजार सबसे मुफीद

- पूरी तरह विकसित वित्तीय ढ़ाँचे वाले ऑस्ट्रेलियाई बाजार में इस बॉन्ड का परीक्षण सबसे मुफीद माना जा रहा है। यहां विदेशी निवेशक पैसे लगाने में सहज भी महसूस करते हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खरीद-फरोख्त पर भरोसा भी रखते हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा व्यापार की जाने वाली करेंसी में से एक है। ■

5. दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया

विश्वभर में 23 अगस्त 2016 को दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य हैती क्रांति के दौरान 22 एवं 23 अगस्त 1791 को जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना है। अफ्रीका से लाये गये महिला एवं पुरुषों को दास बनाकर बेचा जाता था। हैती के लोगों ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते हुए 1804 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस क्रांति से संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा को बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी।

- सैंटो डोमिंगो (वर्तमान में हैती एवं डोमिनिकन रिपब्लिक) में 22 एवं 23 अगस्त 1791 को दास प्रथा के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा अपनाये गये प्रस्ताव 29 सी/40 के तहत प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी। वर्ष 2001 में फ्रांस के मुलहाउस टेक्सटाइल म्यूजियम ने उन कपड़ों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे उस समय दासों के विनिमय के लिए बतौर मुद्रा उपयोग किया। ■

6. ग्रीस यूरोजोन के बेलआउट से बाहर निकला

ग्रीस नौ साल तक उधारदाता के आदेशों को मानने की बाध्यता और यूरोपीय संस्थानों के नियमों का पालन करते हुए हाल ही में आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े बेलआउट से बाहर निकल गया।

प्रमुख बिंदु

- ग्रीस की यह निकासी एक सफलता के तौर पर देखी जा सकती है लेकिन ग्रीकवासियों के लिये यह अत्यंत हर्षदायक नहीं कही जा सकती है क्योंकि ग्रीस के आर्थिक संकट का असर देश पर लंबे समय तक रहेगा।
- इस निकासी को ग्रीस के लिये मील का पत्थर कहा जा सकता है हालाँकि कर्ज के बोझ तले दबे यूरोजोन के इस सदस्य को अब वित्तीय जीवनरेखा की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह वित्तीय जीवनरेखा पिछले एक दशक में उधारदाताओं द्वारा तीन बेहद अहम मौकों पर पेश की गई थी और इससे उबरते हुए देश को अब खुद का समर्थन करने की आवश्यकता होगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रीस अब अपने कर्ज को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये आधिकारिक तौर पर एक बड़े संकट को पीछे छोड़कर बॉण्ड बाजारों का सहारा ले सकेगा। इस संकट ने ग्रीस की अर्थव्यवस्था को एक-चौथाई तक कम कर दिया और कई लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया। 2010 की शुरूआत से ग्रीस अपने यूरोजोन भागीदारों

और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिये गए 260 बिलियन यूरो (300 बिलियन डॉलर) से अधिक के ऋण पर निर्भर रहा है। यूरोजोन के बेलाउट फंड, यूरोपीय स्थिरता तंत्र (ईएसएम) ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा जाल के बिना वित्तीय प्रबंधन कर सकता है।■

7. मॉरीशस में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन

विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन के अवसर पर 20 अगस्त 2018 को सुषमा स्वराज ने मॉरीशस में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला मॉरीशस के गोस्वामी तुलसीदास नगर में आरंभ की गई है।

इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में पठन-पाठन के प्रति रुचि विकसित करना है। इस दौरान भारत में भी पाणिनि भाषा प्रयोगशाला आरंभ किये जाने का विचार प्रकट किया गया।

मुख्य बिंदु

- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आये भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार का देश के हर राज्य में पाणिनि प्रयोगशाला खोलने का विचार है ताकि युवा पीढ़ी हिन्दी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम समेत अन्य भारतीय भाषाओं को सीख सकें।
- किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी को बाध्य करना या दबाव बनाना सही नहीं है। लोगों में स्वत: भाषा सीखने की रुचि होनी चाहिए इसमें पाणिनि प्रयोगशाला मददगार साबित हो सकती है।

- इस अवसर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत में भाषा-शिक्षण से सम्बन्धित नीति 'त्रिभाषा सूत्र' बनायी गयी थी जिसमें हिन्दीभाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाने के संबंध में संस्तुति की गयी।

त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र को वर्ष 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् ने इसे मूल रूप में अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा था और मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया था। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया था और उसी वर्ष ही पुन: अनुमोदित कर दिया गया था। वर्ष 1992 में संसद ने इसके कार्यान्वयन की संस्तुति कर दी थी। यह संस्तुति राज्यों के लिए बाध्यता मूलक नहीं थी क्योंकि शिक्षा राज्यों का विषय है। वर्ष 2000 में यह देखा गया कि कुछ राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इच्छानुसार संस्कृत, अरबी, फ्रेंच, तथा पुर्तगाली भी पढ़ाई जाती है।

- त्रिभाषा सूत्र में पहली, शास्त्रीय भाषाएँ जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी। दूसरी राष्ट्रीय भाषाएँ और तीसरी आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ शामिल हैं। इन तीनों श्रेणियों में किन्हीं तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

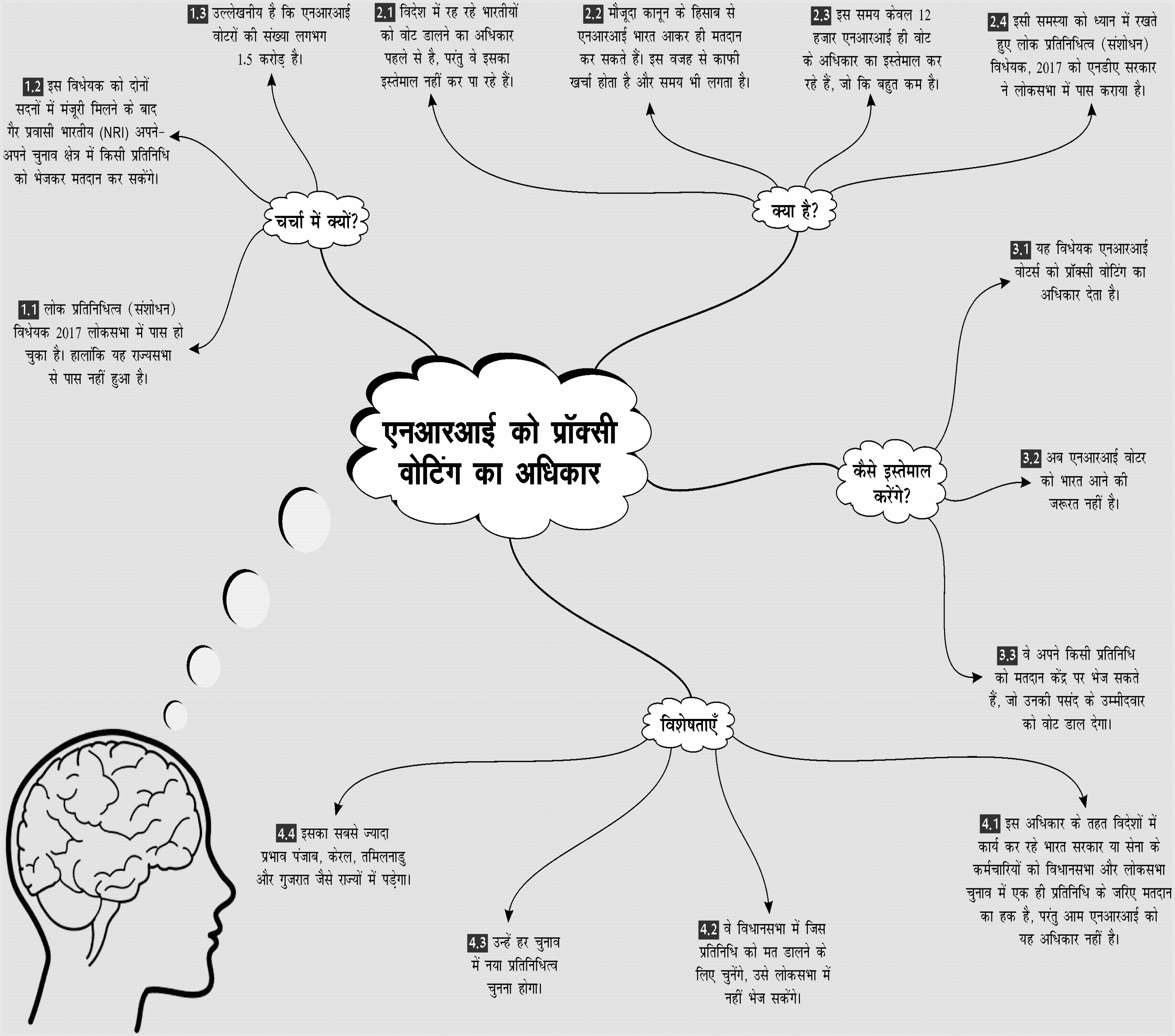
एनआरआई को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार
चर्चा में क्यों?
1.1 लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 लोकसभा में पास हो चुका है। हालांकि यह राज्यसभा से पास नहीं हुआ है।
1.2 इस विधेयक को दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद गैर प्रवासी भारतीय (NRI) अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में किसी प्रतिनिधि को भेजकर मतदान कर सकेंगे।
1.3 उल्लेखनीय है कि एनआरआई वोटरों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है।
क्या है?
2.1 विदेश में रह रहे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार पहले से है, परंतु वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
2.2 मौजूदा कानून के हिसाब से एनआरआई भारत आकर ही मतदान कर सकते हैं। इस वजह से काफी खर्चा होता है और समय भी लगता है।
2.3 इस समय केवल 12 हजार एनआरआई ही वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है।
2.4 इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को एनडीए सरकार ने लोकसभा में पास कराया है।
कैसे इस्तेमाल करेंगे?
3.1 यह विधेयक एनआरआई वोटर्स को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देता है।
3.2 अब एनआरआई वोटर को भारत आने की जरूरत नहीं है।
3.3 वे अपने किसी प्रतिनिधि को मतदान केंद्र पर भेज सकते हैं, जो उनकी पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल देगा।
विशेषताएँ
4.1 इस अधिकार के तहत विदेशों में कार्य कर रहे भारत सरकार या सेना के कर्मचारियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक ही प्रतिनिधि के जरिए मतदान का हक है, परंतु आम एनआरआई को यह अधिकार नहीं है।
4.2 वे विधानसभा में जिस प्रतिनिधि को मत डालने के लिए चुनेंगे, उसे लोकसभा में नहीं भेज सकेंगे।
4.3 उन्हें हर चुनाव में नया प्रतिनिधित्व चुनना होगा।
4.4 इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में पड़ेगा।

मानसिक बीमारी: बीमा कंपनी

चर्चा में क्यों?

1.1 हाल ही में बीमा नियामक इराडा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर निर्गत किया है जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे मानसिक बीमारियों को भी अपनी पॉलिसी में कवर करें।

मुद्दा क्या है?

2.1 देश में मानसिक रूप से बीमार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

2.2 अब तक देश में उपलब्ध 33 बीमा कंपनियों में से किसी ने भी अवसाद, पागलपन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को कवर करने के लिए कोई उत्पाद पेश नहीं किया है।

2.3 मानसिक बीमारियाँ सदैव हेल्थ इंशोरेंस पॉलसी के बाहरी लिस्ट में रही है अर्थात इन्हें कवर नहीं किया जाता है जिसमें कि ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम जैसे रोग अपवाद हैं।

मानसिक राग क्या है?

3.1 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनिम के अनुसार मानसिक रोग उस रोग को कहते हैं जिसमें सोचने, मनोभाव, समझ, उन्मुखता अथवा स्मृति में अच्छी-खासी अव्यवस्था होती है जिसके कारण निर्णय, व्यवहार, सच्चाई को पहचानने की शक्ति अथवा जीवन के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने की योग्यता अतिशय क्षतिग्रस्त हो जाती है।

3.2 इसके अंदर मद्यपान और नशीली दवाओं से सम्बन्धित नशीली दवाएँ भी आती हैं, परंतु इसके अंतर्गत मानसिक मंदबुद्धि नहीं आती है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध अथवा अपूर्ण विकास से उत्पन्न स्थिति होती है।

इरडा

4.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority/IRDA) भारत सरकार का एक प्राधिकरण है।

4.2 इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है।

4.3 इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

4.4 इसकी स्थापना इरडा अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी।

ब्रू-प्रवासी

चर्चा में क्यों?

1.1 हाल ही में गृह मंत्रालय ने ब्रू प्रवासियों के त्रिपुरा से मिजोरम में पुनर्वास के लिए की गयी संधि में ढील देने की स्वीकृति प्रदान की है।

1.2 इस संधि पर भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार तथा मिजोरम के ब्रू विस्थापित फोरम ने जुलाई, 2018 में हस्ताक्षर किये थे।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत सरकार एवं मिजोरम तथा त्रिपुरा और मिजोरम विस्थापित ब्रू मंच (MBDPF) के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसे ब्रू जनजाति के विस्थापन समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

2.2 इस समझौते के अंतर्गत केंद्र सरकार मिजोरम के ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।

2.3 केंद्र सरकार मिजोरम और त्रिपुरा सरकार की सलाह पर इस जनजाति की सुरक्षा, शिक्षा एवं आजीविका आदि से सम्बन्धित समस्याओं का निदान भी करेगी।

2.4 विदित हो की 1997 में मिजोरम के Dampa Tiger Reserve के एक मिजो वन-रक्षक की हत्या हो गयी थी।

2.5 उस समय यह संदेह किया गया है कि यह हत्या ब्रू जनजाति के किसी व्यक्ति ने की थी।

2.6 इस घटना के कारण ब्रू जनजाति और मिजो जनजाति के बीच दंगे होन लगे जिसके कारण ब्रू जनजाति के 5,407 परिवारों के 32,876 लोगों को त्रिपुरा के Jampui Hills में शरण लेनी पड़ी।

2.7 मिजो समुदाय ने ब्रू समुदाय को बाहर कर देने एवं उनके वोट देने के अधिकार को खत्म करने की माँग की।

2.8 उनका कहना था कि ब्रू जनजाति मिजोरम के मूल निवासी नहीं है।

2.9 ब्रू जनजाति को Reangs नाम से भी जाना जाता है।

2.10 यह जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है।

समझौते में किये गये प्रावधान

3.1 इस संधि के अंतर्गत इन ब्रू परिवारों को 30 सितम्बर, 2018 से पहले मिजोरम में वापस भेजे जाने का प्रावधान है।

3.2 इन पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी तथा उनकी सुरक्षा, शिक्षा तथा आजीविका की समस्या का समाधान भी करेगी।

3.3 इन परिवारों के घर के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जायेंगे।

समझौते में संभावित छूट

4.1 इस समझौते में कुछ शर्तों का त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए सम्भावना है कि भारत सरकार 4 लाख की नकद सहायता के लिए मिजोरम में लगातार रहने की सीमा को तीन वर्ष से कम करके दो वर्ष कर दे।

4.2 यह भी संभव है कि मिजोरम लौटने वाले ब्रू परिवार को मिजोरम पहुँचते ही 4 लाख की वित्तीय सहायता के 90% हिस्से को ऋण के रूप में बैंक से निकालने की छूट दी जा सकती है।

4.3 केंद्र इस प्रस्ताव पर यह विचार कर रहा है कि मकान बनाने के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रु. की राशि को मिजोरम लौटने वाला ब्रू परिवार तीन किस्तों के बदले मात्र एक अथवा दो किस्तों में प्राप्त कर सके।

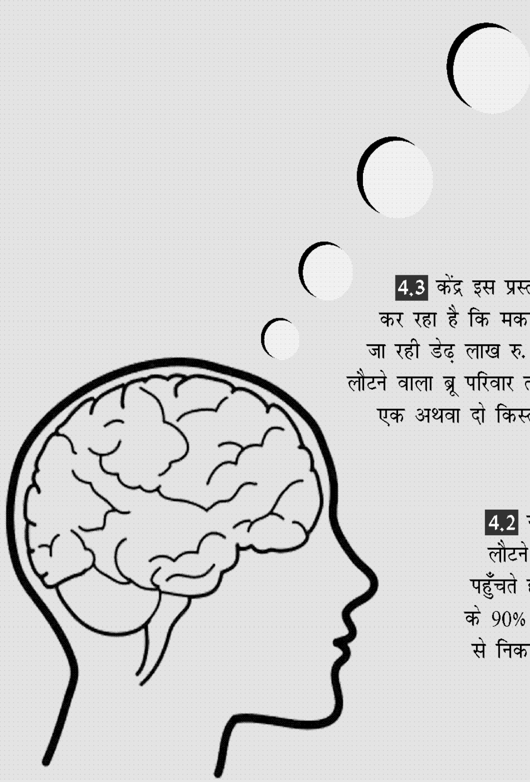

ग्रामीण परिवारों पर: नाबार्ड रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

1.1 नाबार्ड ने हाल ही में एक सर्वेक्षण (All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17) कराया है।

1.2 इस सर्वेक्षण में भारत के ग्रामीण परिवारों की आमदनी, उनके जीवन स्तर, रोजगार आदि के बारे में डाटा एकत्र किया गया है।

सर्वेक्षण का पैमाना

2.2 सर्वेक्षण में 40,327 ग्रामीण परिवार सम्मिलि किये गये हैं।

2.2 इस सर्वेक्षण को पूरे देश में आयोजित किया गया है और 29 राज्यों के 245 जिलों में 2016 गांवों से नमूने एकत्र किए गए हैं।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

3.1 सर्वेक्षण में पता लगा कि ग्रामीण परिवारों की औसत आय कृषि से अधिक दैनिक मजदूरी से हो रही है।

3.2 लगभग 87% ग्रामीण घरों में मोबाइल हैं और उनकी बचत का अधिकांश हिस्सा बैंक में जमा है।

3.3 सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 52.5% कृषि से जुड़े परिवार और 42.8% गैर-कृषि परिवारों पर ऋण का बोझ है।

ग्रामीण परिवार की औसत आय

4.1 ग्रामीण परिवार की औसत वार्षिक आय 1,07,172 रुपये है, जबकि गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े परिवारों की औसत आय 87,228 रुपये है।

4.2 मासिक आमदनी का 19% भाग कृषि से आता है, जबकि औसत आमदनी में दिहाड़ी मजदूरी का भाग 40% से ज्यादा है।

राज्यो की स्थिति

5.1 ग्रामीण परिवारों की औसत आय के मामले में बेहतर राज्य क्रमश: पंजाब (16,020), केरल (15,130) एवं हरियाणा (12,072) हैं।

5.2 ग्रामीण परिवारों की औसत आय के मामले में सबसे कमजोर राज्य क्रमश: उत्तर प्रदेश (6,257), झारखण्ड (5,854) एवं आंध्र प्रदेश (5,842) हैं।

कृषि से जुड़े परिवारों की आय में वृद्धि

6.1 यह सर्वेक्षण वित्तीय समावेश और ग्रामीणों आजीविका जैसे पहलुओं को एक साथ लाने का एक अग्रणी प्रयास है।

6.2 नाबार्ड हर तीन वर्ष में सर्वेक्षण करता है एवं सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषि से जुड़े परिवारों की आय में अच्छी-खासी तेजी आई। इसमें सबसे अधिक वृद्धि छोटे एवं सामान्य किसानों की आय में रही।

नाबार्ड

7.1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत का एक शीर्ष बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई, (महाराष्ट्र) में है।

7.2 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गयी थी।

7.2 इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राधिकृत किया गया है।

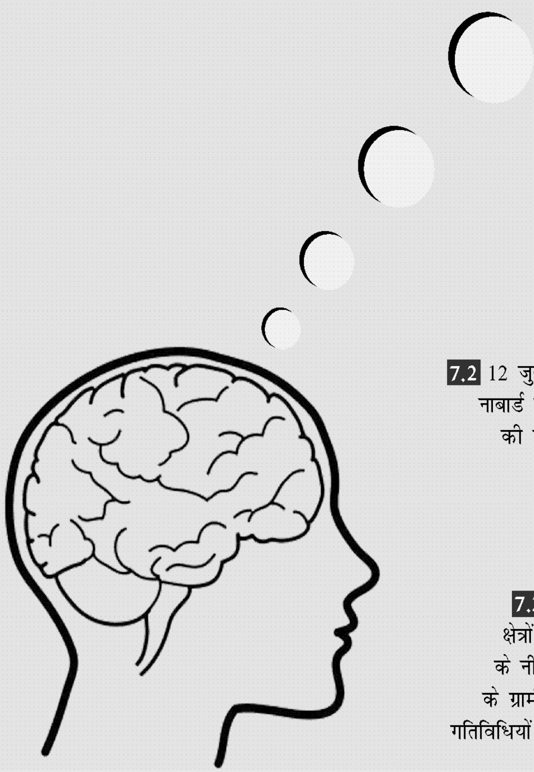

पेटकोक

चर्चा में क्यों?

1.1 हाल ही में भारत ने ईंधन के रूप में उपयोग के लिए पेटकोक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु उद्योगों में फीडस्टॉक के रूप में इसके इस्तेमाल के लिए शिपमेंट की अनुमति दी गई है।

1.2 इस पेटकोक का आयात सीमेंट, चूना भट्टी, कैल्शियम कार्बाइड और गैसीफिकेशन उद्योगों के लिए करने की छूट इस शर्त पर दी गई है कि उसका प्रयोग मशीनों और निर्माण प्रक्रिया में फीडस्टॉक के रूप में किया जाएगा।

1.3 ज्ञातव्य है कि भारत और चीन पेटकोक के बड़े आयातक देश रहे हैं, परंतु चीन ने अब इसके आयात एवं उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है।

1.4 दूसरी ओर, भारत पेटकोक का डंपिंग जोन बन गया है।

1.5 भारत में आज की तिथि में करीब 45 देशों से पेटकोक को डंप किया जाता है।

प्रयोग

2.1 भारत में विशाल जेनरेटरों, स्टील एवं सीमेंट उद्योग में पेटकोक का प्रयोग किया जाता है।

2.2 डीजल की तुलना में यह सस्ता होता है और इसी के चलते पेटकोक का प्रयोग ये उद्योग करते हैं।

2.3 पेटकोक पर टैक्स की छूट मिलती है और जीएसटी के अंतर्गत इस पर किए गए खर्च का रिफंड भी मिलता है।

2.4 दरअसल, कोयला महँगा है इसलिए कुछ दिनों पहले तक उद्योगों में चूरा कोयला का प्रयोग किया जा रहा था जो पेटकोक से भी सस्ता है लेकिन इसी दौरान चीन में पेटकोक पर बैन लग गया और पेटकोक के दाम में भारी गिरावट देखी गई।

2.5 गत वर्षों में देश में पेटकोक के प्रयोग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। एक आँकड़े के अनुसार 2010-11 में भारत में लगभग 10 लाख टन पेटकोक का आयात किया जाता था परंतु 2017-18 में यह बढ़कर 44 लाख टन तक जा पहुँचा।

पेटकोक

3.1 पेटकोक पेट्रोलियम कोक का संक्षिप्त नाम है।

3.2 पेटकोक वह पदार्थ है जो तेल के संशोधन के पश्चात बैरल के निचले भाग में बच जाता है।

3.3 यह कोयला से सस्ता है और जलने पर इससे कोयले से अधिक ताप निकलता है।

3.4 इसमें कार्बन और गंधक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित तो होता ही है, मनुष्यों में फेफड़े और हृदय को क्षति भी पहुँचती है।

3.5 इसमें कोयले से 17 गुणा ज्यादा और डीजल से 1380 गुणा से ज्यादा गंधक होता है।

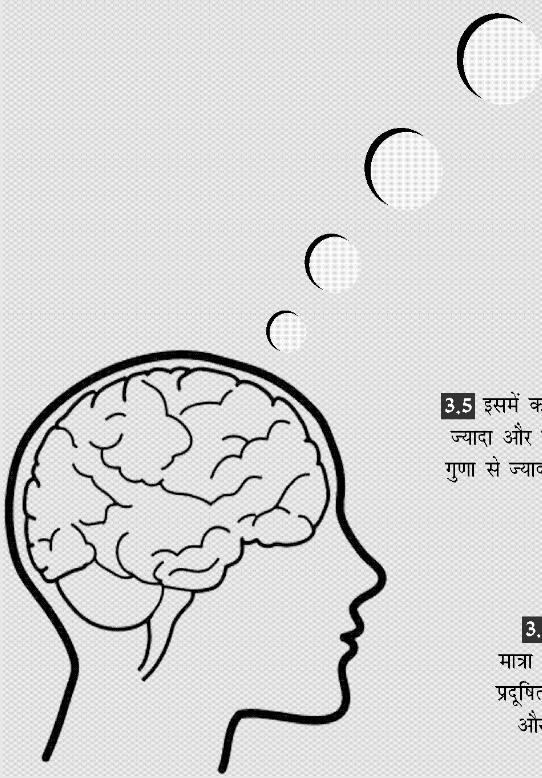

एनसीआरबी

चर्चा में क्यों?

1.1 हाल ही में सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में बाल पोर्नोग्राफी और यौन-हिंसा के विडियो को अभिलिखित करने वाले सरकारी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण करने के लिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।

1.2 अब NCRB फेसबुक, यूट्यूब जैसे सेवा प्रदाताओं से समन्वय करेगा तथा उन्हें गंदे विडियो और सामग्रियों को ब्लॉक करने के लिए कहेगा।

एनसीआरबी के बारे में

2.1 एनसीआरबी अपराधों, दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं एवं कारागारों के विषय में प्रामाणिक आँकड़ों का संग्रह करता है जिनका उपयोग नीति-निर्धारण एवं अनुसंधान के लिए किया जाता है।

2.2 इसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) तथा गृह मंत्रालय के कार्यदल (1985) के अनुशंसाओं पर हुई थी।

2.3 इसकी स्थापना इन कार्यालयों को एक साथ मिलाकर की गई थी- समन्वय एवं पुलिस कंप्यूटर निदेशालय, सीबाआई की अंतर्राज्य अपराधी आँकड़ा शाखा, सीबीआई का केंद्रीय अनुलांक ब्यूरो तथा BPD&D की सांख्यिकी शाखा।

मुख्य कार्य

3.1 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड पर संचालित परियोजना अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए यह ब्यूरो कार्यान्वयन और अनुश्रवण एजेंसी है।

3.2 इस परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक एवं समेकित तंत्र को स्थापित करना है।

3.3 एनसीआरबी भारत एवं विदेश के पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अनुलांक विज्ञान का प्रशिक्षण भी देता है।

अपराध के बढ़ते आँकड़े

4.1 2015 में 34,651 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे जो 2016 में बढ़कर 38,947 हो गये।

4.2 जहाँ तक स्त्रियों के प्रति सभी प्रकार के अपराध की बात है, इन अपराधों की संख्या 2015 में 3,29,243 थी जो 2016 में बढ़कर 3,38,954 हो गयी।

4.3 स्त्रियों के प्रति अपराधों में 32.6% मामले पति अथवा रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, 25% मामले महिलाओं के शीलहरण की चेष्टा, 19% मामले महिलाओं के अपहरण तथा 11.5% मामले बलात्कार से सम्बन्धित थे।

4.4 2016 में सबसे अधिक बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश (4,882), उत्तर प्रदेश (4,816) तथा महाराष्ट्र (4,189) में दर्ज हुए।

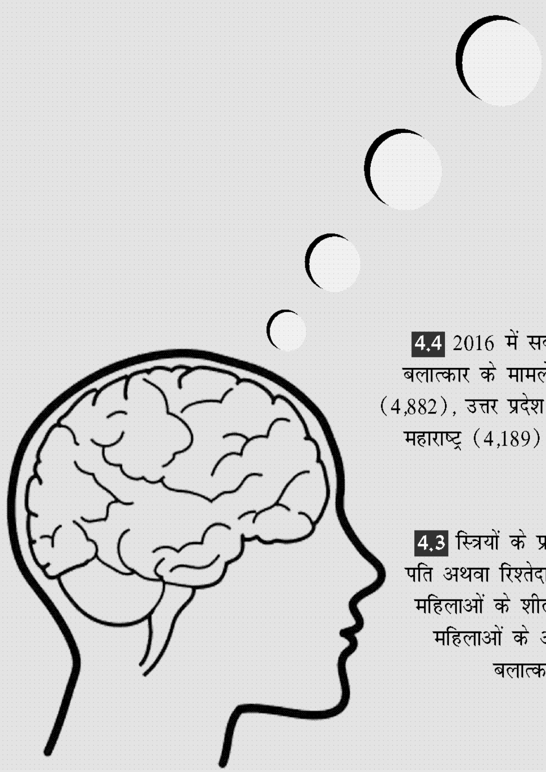

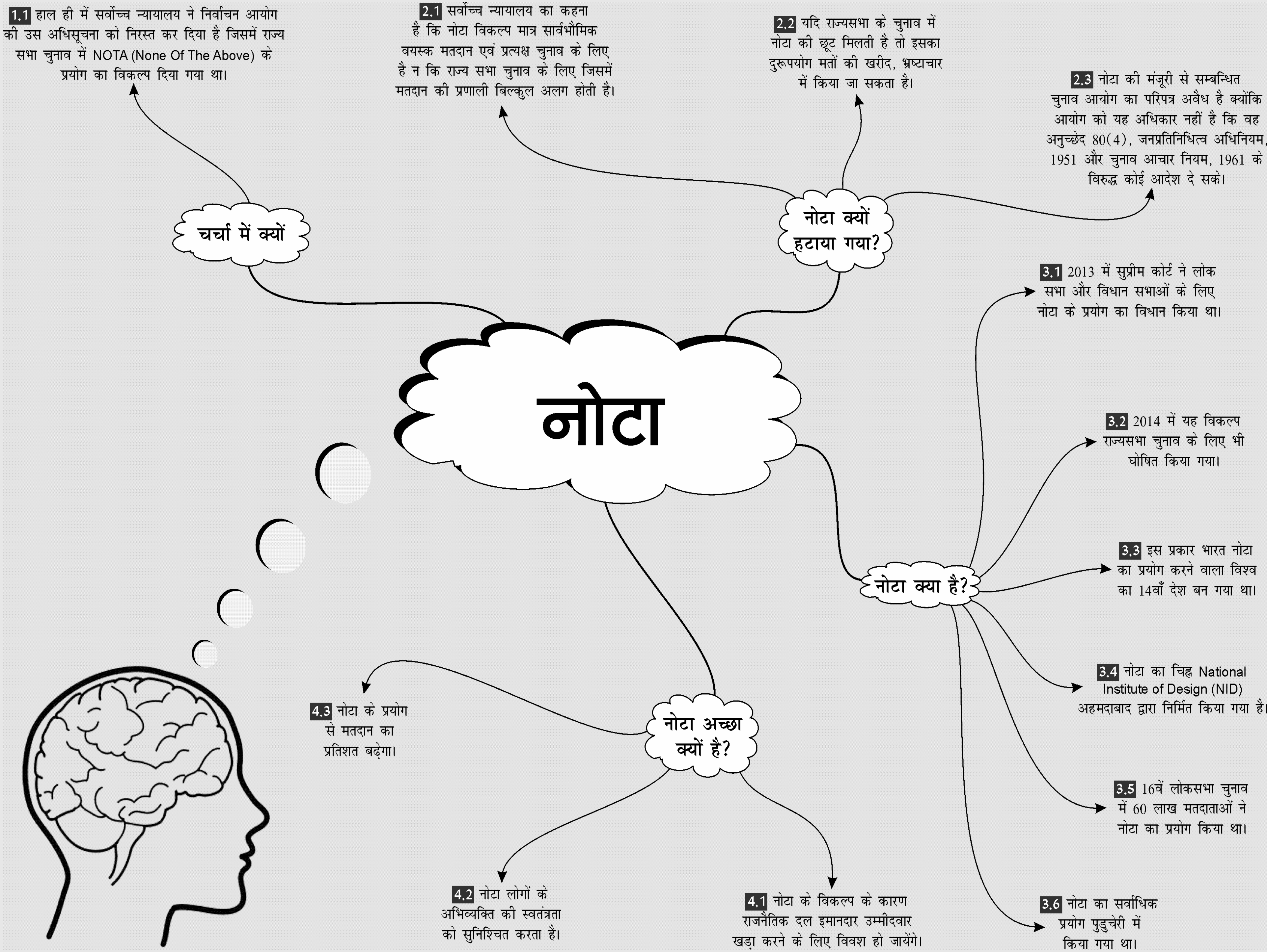
नोटा
चर्चा में क्यों
1.1 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जिसमें राज्य सभा चुनाव में NOTA (None Of The Above) के प्रयोग का विकल्प दिया गया था।
नोटा क्यों हटाया गया?
2.1 सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि नोटा विकल्प मात्र सार्वभौमिक वयस्क मतदान एवं प्रत्यक्ष चुनाव के लिए है न कि राज्य सभा चुनाव के लिए जिसमें मतदान की प्रणाली बिल्कुल अलग होती है।
2.2 यदि राज्यसभा के चुनाव में नोटा की छूट मिलती है तो इसका दुरूपयोग मतों की खरीद, भ्रष्टाचार में किया जा सकता है।
2.3 नोटा की मंजूरी से सम्बन्धित चुनाव आयोग का परिपत्र अवैध है क्योंकि आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वह अनुच्छेद 80(4), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचार नियम, 1961 के विरुद्ध कोई आदेश दे सके।
नोटा क्या है?
3.1 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक सभा और विधान सभाओं के लिए नोटा के प्रयोग का विधान किया था।
3.2 2014 में यह विकल्प राज्यसभा चुनाव के लिए भी घोषित किया गया।
3.3 इस प्रकार भारत नोटा का प्रयोग करने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया था।
3.4 नोटा का चिह्न National Institute of Design (NID) अहमदाबाद द्वारा निर्मित किया गया है।
3.5 16वें लोकसभा चुनाव में 60 लाख मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था।
3.6 नोटा का सर्वाधिक प्रयोग पुडुचेरी में किया गया था।
नोटा अच्छा क्यों है?
4.1 नोटा के विकल्प के कारण राजनैतिक दल इमानदार उम्मीदवार खड़ा करने के लिए विवश हो जायेंगे।
4.2 नोटा लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
4.3 नोटा के प्रयोग से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. एनआरआई को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार

प्र. प्रॉक्सी वोटिंग के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा/से प्रावधान किए गए है/हैं?

1. यह एनआरआई वोटर्स को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देता है।
2. एनआरआई वोटर को वोट डालने के लिए भारत आना होगा।
3. एनआरआई अपने प्रतिनिधि को मतदान केंद्र पर भेजकर वोट डाल सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) कवेल 1 व 3

(b) केवल 1

(c) केवल 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: अब एनआरआई वोटर को वोट डालने के लिए भारत आने की जरूरत नहीं है। वे अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल पाएंगे। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ■

2. मानसिक बीमारी: बीमा कंपनी

प्र. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सांविधिक निकाय है।
2. इसका मुख्यालय मुंबई में है।
3. इसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्द्धन तथा आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 2

(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ■

3. ब्रू–प्रवासी

प्र. 'ब्रू' जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र सरकार ने ब्रू प्रवासियों के त्रिपुरा से मिजोरम में पुनर्वास के लिए की गयी संधि में ढील देने की स्वीकृति दी है।
2. 'ब्रू' जनजाति को 'Reangs' के नाम से भी जाना जाता है।
3. यह जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 1 व 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: इस संधि पर भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार तथा मिजोरम के ब्रू विस्थापित फोरम ने जुलाई, 2018 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत केंद्र सरकार मिजोरम के 'ब्रू' समुदाय के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। ■

4. ग्रामीण परिवारों पर नाबार्ड रिपोर्ट

प्र. सर्वे 2016-17' किसके द्वारा जारी किया गया?

(a) नीति आयोग

(b) नाबार्ड

(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार)

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: नाबार्ड ने हाल ही में एक सर्वेक्षण कराया है- ऑल इंडिया अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन 2016-17। इस सर्वेक्षण में भारत के ग्रामीण परिवारों की आमदनी, उनके जीवन स्तर, रोजगार आदि के बारे में डाटा एकत्र किया गया है। ■

5. पेटकोक

प्र. पेटकोक (Petcoke) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कोयला से महँगा होता है और इसके जलने पर कोयले से कम ताप निकलता है।
2. यह पर्यावरण हितैषी है।
3. डीजल की तुलना में यह महँगा होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: यह कोयला से सस्ता है और इसके जलने पर कोयले से अधिक ताप निकलता है। परंतु इसमें कार्बन और गंधक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित तो होता ही है, मनुष्यों में फेफड़े और हृदय को क्षति भी पहुँचती है। डीजल की तुलना में यह सस्ता होता है और इसी के कारण पेटकोक का प्रयोग उद्योग-धंधों में किया जाता है। ■

6. एनसीआरबी

प्र. 'राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो' (NCRB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य देश में पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक एवं समेकित तंत्र को स्थापित करना है।
2. यह भारत एवं विदेश के पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं फिंगरप्रिंट साइंस का प्रशिक्षण भी देता है।
3. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के कार्यान्वयन के लिए यह ब्यूरो कार्यान्वयन और अनुश्रवण एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड पर संचालित परियोजना अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के कार्यान्वयन के लिए यह ब्यूरो कार्यान्वयन और अनुश्रवण एजेंसी है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक एवं समेकित तंत्र को स्थापित करना है। एनसीआरबी भारत एवं विदेश के पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं फिंगरप्रिंट साइंस का प्रशिक्षण भी देता है। ■

7. नोटा

प्र. नोटा (NOTA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा और विधान सभाओं के लिए नोटा के प्रयोग का प्रावधान किया था।
2. भारत नोटा का प्रयोग करने वाला विश्व का 12वाँ देश बन गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों सही है
(d) न ही 1 न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा और विधान सभाओं के लिए नोटा के प्रयोग का प्रावधान किया था, न कि 2014 में। भारत नोटा का प्रयोग करने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया था, न कि 12वाँ। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. DRDO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है?

   - जी सतीश रेड्डी

2. हाल ही में नौ सैना ने किस राज्य में "ऑपरेशन मदद" शुरू किया है?

   - केरल

3. हाल ही में किस देश में सिंध हिन्दू विवाह (संसोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है?

   - पाकिस्तान

4. हाल ही में 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंटस एसोसिएशन' (डब्ल्यूएचसीए) बोर्ड के लिए किस भारतीय अमेरिकी का चयन किया गया है?

   - अनीता कुमार

5. हाल ही में किस राज्य में 'अभयम-181' नामक मोबाइल एप लांच किया गया है?

   - गुजरात

6. हाल ही में राज्य सभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - हरिवंश नारायण

7. हाल ही में भारत ने किस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?

   - अंतर-वायुमंडलीय रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल

सात महत्वपूर्ण पुरस्कार

1. फील्ड्स मेडल पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - गणित के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए
  - नोबल पुरस्कार के समतुल्य उपलब्धि
  - प्रत्येक 4 वर्ष में प्रदान किया जाता है।
  - 40 वर्ष के कम आयु वाले गणितज्ञों को
- **संस्था**
  - इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन
- **2018 विजेता**
  - अक्षय वेंकटेश (भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई गणितज्ञ), कौचर बर्कर, एलिसियो फिगाले और पीटर सोल्जे
- **2014 विजेता**
  - इससे पहले वर्ष 2014 में भी यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया।

2. शलाका सम्मान, 2017–18

- **संबंधित क्षेत्र**
  - साहित्य, समाज सेवा, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- **संस्था**
  - दिल्ली हिन्दी अकादमी
- **2018 विजेता**
  - जावेद अख्तर
- **2017 विजेता**
  - प्रो. मैनेजर पाण्डेय

3. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - यह एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है।
  - इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है।
- **संस्था**
  - रेमन मेग्सेसे फाउंडेशन (फिलीपींस)
- **2018 विजेता**
  - सोनम वांगचुक (भारत), होवार्ड डी (फिलीपींस), मारिया डे लोरडेस माटिंग्स क्रुज (पूर्वी तिमोर), वो थी होंग येन (वियतनाम), यूक छांग (कंबोडिया)
- **2017 विजेता**
  - डेलीग लीलिया (फिलीपींस), इसीजावा योशियाकी (जापान), नावादन एवडोन (इंडोनेशिया), फिलीपींस एजुकेशनल टीचर ऐसोसिएसन फिलीपींस, शनमुगम गेल्सी (श्रीलंका), ताई टोनी (सिंगापोर)

4. गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - साहित्य (अंग्रेजी भाषा)
- **संस्था**
  - इंगलेण्ड की मैनबुकर पुरस्कार संस्था
- **2018 विजेता**
  - माइकल ओन्डारेजे (कनाडा)

- **पुस्तक**
  - इंग्लिश पेशेंट
- **2017 विजेता**
  - जार्ज सार्न्डस
- **पुस्तक**
  - लिंकोलन इंन दी बार्डो (Lincoln in the Bardo)

5. इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - शहरों के सतत विकास हेतु नवोन्मेषी विचारों और परियोजनाओं को लागू करने हेतु
- **संस्था**
  - भारत सरकार (स्मार्ट सिटीमिशन प्रोग्रोम)
- **विजेता**
  - सूरत (स्मार्ट सिटी हेतु)

6. संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - समाज सुधार हेतु किए गए कार्यों के लिए
- **संस्था**
  - रामकृष्ण फाउंडेशन (सूरत)
- **2018 विजेता**
  - कैलाश सत्यार्थी और ए.एस. किरन कुमार (इसरो के वैज्ञानिक)
- **2017 विजेता**
  - रतन टाटा

7. राजीव गांधी सदभावना पुरस्कार, 2018

- **संबंधित क्षेत्र**
  - यह पुरस्कार सांप्रदायिक सदभाव शांति और भाइचारे को बढ़ाने हेतु दिए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।
- **संस्था**
  - ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी)
- **2018 विजेता**
  - गोपाल कृष्ण गांधी
- **2017 विजेता**
  - मोहम्मद अजहरउद्दीन और एम गोपाला कृष्णा

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. दवाइयों के कीमत में वृद्धि होने से, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है, यह भारत सरकार के लिए निरंतर चिंता का सबब बना हुआ है। आलोचनात्मक परीक्षण करें।

2. हाल के वर्षों में आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के संतुलन पत्रों (Balance Sheets) को सुदृढ़ करने के लिए उठाऐ गए कदमों पर चर्चा करें।

3. आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण भारतीय मानसून प्रभावित हुआ है? टिप्पण ी कीजिए।

4. पश्चिमी घाट को संरक्षित करने के लिए गठित समितियों के महत्वपूर्ण सिफारिशों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि पारिस्थितिकी संरक्षा और मानव विकास दबाव के बीच किस तरह संतुलन स्थापित किया जाये?

5. आज के संदर्भ में राज्यों में विधान परिषदों की क्या प्रासंगिकता है? क्या आपको लगता है कि इनकी स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए? विश्लेषण करें।

6. आपदा के दौरान भारत द्वारा विदेशी सहायता को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की औचित्यता का केरल बाढ़ के संदर्भ में परीक्षण करें।

7. महात्मा गाँधी के बिना भारत की स्वतंत्रता कितनी भिन्न होती? चर्चा कीजिए।

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON

DHYEYAIAS.COM

011-49274400

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400